# रोज़ः का हुक्म
## और
# उसके मसायल
## क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में

इसमें रोज़े का मतलब, उसकी क़िस्में, शर्तें फ़रायज़ सुन्नत, मुस्तहबात, फ़ासिद और मकरुह होने की चीज़ें सहरी, इफ़्तार, माज़ूरो और मुसाफ़िर का रोज़ः क़ज़ा, कफ़्फ़ारा, फ़िद्या, तरावीह की नमाज़, शबे क़द्र, सदक़-ए-फ़ित्र, एतिकाफ़ की क़िस्में, शर्तें और उसके मसायल का ज़िक्र करते हुए ईद की नमाज़ और उसके मुस्तहबात का ज़िक्र है।

मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फ़ारुक़ी नदवी
(सदर, जमअ़ीयत पयामे अम्न, लखनऊ)

जमअ़ीयत पयामे अम्न,
नदवा रोड, डालीगंज, लखनऊ, (यू०पी०)

© सर्वाधिकार सुरक्षित

| | |
|---|---|
| नाम- | रोज़ः का हुक्म और उसके मसायल |
| लेखक- | मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी |
| संस्करण हिन्दी- | तृतीय |
| पुस्तक संख्या- | 2000 |
| वर्ष- | 2013 |
| मूल्य- | 40 रू. |
| प्रकाशक- | जमअ़ीयत पयामे अम्न, नदवा रोड, डालीगंज, लखनऊ। |

| | |
|---|---|
| Book Name | Roza Ka Huqm Aur Us Ke Masail |
| Writer | Mufti Mohd-Sarwar Farooqui Nadwi |
| S. No. | 2000 |
| Publisher. | Jamiat Payam-e-Amn, Nadwa Road, Daliganj, Lucknow, U.P. (INDIA) |
| Website: | www.islamicjpamn.com |
| Mobile– | 0091– 9919042879, 9984490150 |
| E- Mail– | maktaba.pyameamnlko@gmail.com siddiquilko@yahoo.com |

## मिलने के पते

1. जामिया दारे अरक़म मुहम्मदपुर गौंती, फ़तेहपुर
2. न्यू सिल्वर बुक एजेन्सी, 14, मोहम्मद अली रोड, भिण्डी बाज़ार, मुम्बई-400003
3. सेन्ट्रल बुक डिपो, इब्राहीमपुरा भोपाल।
4. मकतबः नदविया, नदवा (लखनऊ)
5. मकतबः अल् फ़ुरक़ान, नज़ीराबाद (लखनऊ)
6. मकतबः हरमैन, मरकज़, लखनऊ

# विषय सूची


| विषय | पृष्ठ सं० |
|---|---|
| सन्देश | |
| प्रस्तावना | |
| रोज़ः का अर्थ | 1 |
| फ़ज़ीलत | 1 |
| रोज़े की क़िस्म | 2 |
| नियत का बयान | 3 |
| नियत का वक़्त | 3 |
| चाँद देखने का बयान | 4 |
| यौमुश्शक का बयान | 5 |
| रोज़े की शर्ते | 6 |
| रोज़े के शरायत वजूब | 6 |
| शरायत सेह़्त | 7 |
| रोज़े के फ़रायज़ | 7 |
| रोज़े के सुनन व मुस्तह़्बात | 7 |
| रोज़े के फ़ासिद होने की चीज़ें | 8 |
| वह चीज़ें जिन से रोज़ः मकरुह हो जाता है | 8 |
| वह चीज़ें जिन से रोज़ः मकरुह नहीं होता | 9 |
| सहरी और इफ़्तार | 10 |
| किस चीज़ से इफ़्तार मुस्तहब है | 11 |
| इफ़्तार की दुआ | 12 |
| इफ़्तार कराने का सवाब | 12 |
| बिना सह़री का रोज़ः | 13 |
| ऐसी माज़ूरियाँ जिन में रोज़ः रखने की इजाज़त है | 13 |
| सफ़र | 14 |
| बीमारी | 15 |
| ह़मल | 15 |
| दूध पिलाने वाली औरत | 16 |





| विषय | पृष्ठ सं० |
|---|---|
| भूक प्यास की शिद्दत | 16 |
| ज़ईफ़ और बुढ़ापा | 16 |
| ख़ौफ़ व हलाकत | 17 |
| जिहाद | 17 |
| बेहोशी | 17 |
| जुनून | 18 |
| वह सूरतें जिन से रोज़ः टूट जाता है | 18 |
| क़ज़ा का बयान | 19 |
| कफ़्फ़ारा का बयान | 19 |
| फ़िद्या का बयान | 20 |
| रोज़े के मुतफ़र्रिक़ अह़काम व आदाब | 20 |
| नमाज़े तरावीह का बयान | 21 |
| नमाज़े तरावीह का हुक्म | 22 |
| नमाज़े तरावीह की फ़ज़ीलत | 22 |
| नमाज़े तरावीह किस पर | 23 |
| शबे क़द्र का बयान | 23 |
| सद्क़ा व ख़ैरात का बयान | 24 |
| सद्क़-ए-फ़ित्र | 25 |
| सद्क़-ए-फ़ित्र का निसाब | 25 |
| सद्क़-ए-फ़ित्र की मिक़्दार | 26 |
| सद्क़-ए-फ़ित्र किस का | 26 |
| एतिकाफ़ की परिभाषा | 27 |
| एतिकाफ़ के अरकान व शरायत | 27 |
| मुअ़्तकिफ़ से मुतअ़ल्लिक़ शरायत | 28 |
| एतिकाफ़ गाह की एक शर्त | 29 |
| अफ़ज़ल एतिकाफ़ | 29 |
| एतिकाफ़ की क़िस्म | 29 |
| नज़र का एतिकाफ़ | 30 |
| पहले और दूसरे अशरे का एतिकाफ | 33 |

| विषय | पृष्ठ सं० |
| --- | --- |
| नाबालिग़ का एतिकाफ़ | 33 |
| किस का एतिकाफ़ में बैठना बेहतर है | 34 |
| एतिकाफ़ और मुसलमानों की आबादी | 34 |
| एतिकाफ़ के लिए मस्जिद बाजमाअ़त | 35 |
| कितनी मस्जिदों में एतिकाफ़ ज़रुरी है | 36 |
| एतिकाफ़ में बैठने का वक़्त | 37 |
| मुअ़तकिफ़ के हुदूद | 38 |
| एतिकाफ़ टूटने की सूरतों का बयान | 39 |
| एतिकाफ़ तोड़ना कब जायज़ है | 40 |
| एतिकाफ़ न टूटने की सूरत | 42 |
| एतिकाफ़ की ह़ालत में मुबाह़ काम | 42 |
| मकरुह़ात एतिकाफ | 44 |
| मुअ़तकिफ़ की आरामगाह | 44 |
| मुअ़तकिफ़ के लिए ग़ुस्ल और वुज़ू का मक़ाम | 45 |
| मुस्तह़बाते एतिकाफ़ | 46 |
| वह उमूर जो मुअ़तकिफ़ के लिए जायज़ है | 46 |
| नमाज़े ईद का बयान | 47 |
| दूसरी ख़ुशी | 48 |
| ईद की नमाज़ का तरीक़ा | 49 |
| ईद के मुस्तह़बात | 50 |
| ईदुल् अज़्हा के ख़ास अह़काम | 50 |

# प्रस्तावना

रोज़ः भी नमाज़, ज़कात और हज की तरह एक रुक्न है। हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ़रमाया कि आदमी के सब अ़मल उस के लिए हैं मगर रोज़ः ख़ास मेरे लिए है। **(बुख़ारी)**

एक रिवायत में है कि रोज़ादार अपना खाना, अपना पीना अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिश जो बीवी से सम्बन्धित है मेरी वजह से छोड़ देता है। इसीलिए अल्लाह तआ़ला ने रोज़ः को अपनी चीज़ फ़रमाया।

हज़रत उमामा (रज़ि०) से रिवायत है कि मैंने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! मुझे किसी बड़े अ़मल का हुक्म दीजिए फ़रमाया रोज़ः रख क्योंकि कोई अ़मल उसके बराबर नहीं मैंने दोबारा अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! मुझको किसी दूसरे बड़े अ़मल का हुक्म दीजिए। फ़रमाया रोज़ः रख क्योंकि कोई अ़मल उसके बराबर नहीं। मैंने तीसरी बार फिर अ़र्ज़ किया मुझको किसी बड़े अ़मल का हुक्म दीजिए फ़रमाया रोज़ः रख क्योंकि कोई अ़मल उसकी तरह नहीं। **(नसई व इब्ने ख़ुज़ैमा)**

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ़रमाया कि हर चीज़ की एक ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ः है। **.(इब्ने माजा)**

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) से रिवायत है कि रोज़ः रखा करो तन्दुरुस्त रहोगे। **(तबरानी)**

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज़ फ़रमाया और मैंने रमज़ान की शब्बेदारी को तरावीह़ व क़ुर्आन के लिए तुम्हारे वास्ते अल्लाह तआ़ला के हुक्म से सुन्नत बनाया जो मुअक्किदह होने की वजह से अहम है। जो शख़्स ईमान से और सवाब के एतिक़ाद से रमज़ान का रोज़ः रखे और रमज़ान की शब्बेदारी करे वह अपने गुनाहों से उस दिन की तरह़ निकल जाएगा जिस दिन उसको उसकी माँ ने जना था। **(नसई)**

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ़रमाया कि रोज़ः और क़ुर्आन दोनों क़ियामत के दिन बन्दा की



शफ़ाअ़त यानी बख़्शिश करेंगे। रोज़ः कहेगा कि ऐ मेरे परवरदिग़ार मैंने इसको खाने और नफ़्सानी ख़्वाहिश से रोके रखा, इसके हक़ में मेरी सिफ़ारिश क़ुबूल कीजिए। रसूलुल्लाह (सल्ल०) फ़रमाते हैं कि इन दोनों की सिफ़ारिश क़ुबूल कर ली जाएगी। **(अह़मद, तबरानी)**

क़ुर्आन और ह़दीस की रोश्नी में रोज़े की अहमियत साबित होती है, जिसका मक़सद तक़वा पैदा करना है यानी इन्सान के अन्दर अल्लाह का ख़ौफ़ और उसके ह़ाज़िर व नाज़िर रहने का यक़ीन पैदा हो जाए इसकी अहमियत को सामने रखते हुए ज़रूरत थी कि एक ऐसी हिन्दी में किताब हो जिसमें रोज़ः के अह़काम के साथ कुछ मसायल भी बताए गये हों।

अल्ह़म्दुलिल्लाह इस किताब में रोज़े का मतलब, उसकी क़िस्में, शर्तें फ़रायज़ सुन्नत, मुस्तहबात, फ़ासिद और मकरुह होने की चीज़ें सह़री, इफ़्तार, माज़ूर और मुसाफ़िर का रोज़ः क़ज़ा, कफ़्फ़ारा, फ़िद्या, तरावीह़ की नमाज़, शबे क़द्र, सद्क़-ए-फ़ित्र, एतिकाफ़ की क़िस्में, शर्तें और उसके मसायल का ज़िक्र करते हुए ईद की नमाज़ और उसके मुस्तह़बात का ज़िक्र है।

अल्लाह पाक इसे क़ुबूल फ़रमाकर पूरी उम्मत में इस फ़रीज़े को मुकम्मल तौर से ज़िन्दा फ़रमाए और अ़मल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए।

**मुह़म्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी**
**दारुल उलूम नदवतुल उल्मा लखनऊ**
**२५-६-२००५**

# रोज़ः का बयान

## रोज़ः का अर्थ–

'अस्सियाम' या सौम (रोज़ः) के शाब्दिक अर्थ होते हैं 'किसी चीज़ से रुके रहने के।' शरीअ़त में इस से मुराद 'मख़्सूस वक़्त में मख़सूस शर्तो के साथ रुके रहना है।' **(नव्वी, इब्ने हजर)**

## फ़ज़ीलत–

ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्ल०) का इर्शाद है:-

"आदमी के हर अ़मल ख़ैर का अज्र दस गुने से सात सौ गुने तक बढ़ाया जाता है। मगर अल्लाह तआ़ला का इर्शाद है कि रोज़े का मामला दूसरा है, वह तो ख़ालिस मेरे लिए है और मैं खुद ही उस का अज्र दूँगा।"

**फ़रमायाः** रोज़ेदार के लिए दो ख़ुशियाँ हैं।

एक इफ़्तार के वक़्त (जब वह इस जज़्बे से सरशार होकर ख़ुदा की नेअ़मतों से लुत्फ़ अन्दोज़ होता है कि ख़ुदा ने उस को एक फ़रीज़ा पूरा करने की तौफ़ीक़ दी।)

दूसरी ख़ुशी अपने परवरदिगार से मिलने के वक़्त (जब वह ख़ुदा के हुज़ूर उस के दीदार से अपनी आँखों को रौशन करेगा)।

ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया:- "जिस शख़्स ने ईमानी शुऊर और एह़तिसाब के साथ रोज़े रखे उस के वह सारे गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे जो उस से पहले हो चुके हैं।" **(बुख़ारी, मुस्लिम)**

ईमानी शुऊर के साथ रोज़े रखने का मतलब यह है कि अल्लाह तआ़ला की इताअ़त और फ़रमाबरदारी का जज़्बा हो, रोज़े से तक़्वा और मक़ामे बन्दगी



मतलूब हो और यह यक़ीन हो कि अ़मल का अज्र आख़िरत में ज़रूर मिलेगा और ख़ुदा ही अपने इल्म व हिकमत और अ़द्ल व करम की बुनियाद पर अज्र देगा।

यहाँ एह़तिसाब के माने यह हैं कि अल्लाह की रज़ा और आख़िरत ही के लिए रोज़ः रखा जाए और उन तमाम चीज़ों से रोज़े की हिफ़ाज़त की जाए जो अल्लाह को नापसंद हैं और जिन से अल्लाह ने मना फ़रमाया है।

# रोज़े की क़िस्में

(१) फ़र्ज़ (२) वाजिब (३) सुन्नत (४) मुस्तह़ब (५) नफ़्ल (६) ह़राम (७) मकरुह।

## फ़र्ज़–

रमज़ान शरीफ़ के रोज़े फ़र्ज़ हैं। अगर किसी उ़ज़्र की वजह से या बिला उ़ज़्र रमज़ान शरीफ़ के रोज़े छोड़ दिये तो फिर उन रोज़ों की क़ज़ा फ़र्ज़ है।

## वाजिब–

कफ़्फ़ारों के रोज़े और नज़र व मन्नत के रोज़े नज़र व मन्नत में अगर वक़्त और दिन की नियतें की हैं। जैसे अगर मेरा फ़लां काम हो गया तो फ़लां तारीख़ या फ़लां दिन का रोज़ः रखूँगा। तो यह "नज़रे मुअ़य्यन" है बस अगर वह काम हो गया तो उस दिन का रोज़ः रखना वाजिब है। और अगर दिन और तारीख़ मुअ़य्यन नहीं की बल्कि मुतलक़ रोज़े की नियत की हो तो यह "नज़रे मुअ़य्यन" है। जिस को पूरा करना वाजिब है, इसे जब चाहे पूरा कर ले।

## सुन्नत–

आ़शूरा यानी मुहर्रम के दो रोज़े और बेहतर यह है कि ९ और १० तारीख़ हो वरना १० और ११ हो। और ९ ज़िल् हिज्ज यानी यौमे अ़रफ़ा का रोज़ः सुन्नत है।

## मुस्तह़ब–

हर महीने में तीन रोज़े मुस्तह़ब हैं वह अय्यामे बीज़ हों। यानी चाँद की

१३, १४, १५ तारीख़ हो और पीर और जुमेरात का रोज़ः और छः रोज़े शव्वाल के और ह़ज़रत दाऊद (अ़लै०) का रोज़ः यानी एक रोज़ रोज़ः रखे और एक रोज़ इफ़्तार करे।

### नफ़्ल–

इन के अ़लावह सब रोज़े नफ़्ल हैं सिवाए मकरुह और ह़राम रोज़ों के।

## ह़राम

ईदैन का रोज़ः और अय्यामे तशरीक़ का रोज़ः। ज़िल्ह़िज्ज की ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं तारीख़ को "अय्यामे तशरीक़" कहते हैं। और ग़ैरुल्लाह का रोज़ः रखना ह़राम है।

## मकरूह

सिर्फ़ सनीचर के दिन का रोज़ः या सिर्फ़ जुमअ़ के दिन का रोज़ः या सिर्फ़ आ़शूरा यानी दस मुहर्रम का रोज़ः या नौ रोज़ के दिन का रोज़ः रखना मकरूह है साथ में एक और शामिल कर ले तो बेहतर है। मगर जैसा मशहूर है कि एक रोज़ः भटकता है यह बात ग़लत है।

## नियत का बयान

किसी काम के क़सद और इरादा को नियत कहते हैं। नियत के लिए दिल से इरादा कर लेना काफ़ी है। ज़बान से कहना ज़रुरी नहीं। अलू़बत्ता बेहतर यह है कि ज़बान से भी कह ले। रोज़े के लिए नियत करना शर्त और ज़रुरी है बग़ैर नियत के रोज़ः न होगा। अगर बिला रोज़ा की नियत किये सुबह़ सादिक़ से ग़ुरूब आफ़ताब तक रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ों से बचा रहा तो यह रोज़ः न होगा।

### नियत का वक़्त–

रोज़े की नियत का अस्ल वक़्त सुबह़ सादिक़ से पहले है। अलू़बत्ता



रमज़ान शरीफ़ और नज़्रे मुअय्यन और सुन्नत और नफ़्ल रोज़ों की नियत सुबह़ सादिक़ के बाद आधे दिन से पहले पहले कर लेना भी जाएज़ है। और क़ज़ा रमज़ान और कफ़्फ़ारो और ग़ैर मुअ़य्यन रोज़ों की नियत सुबह़ सादिक़ से पहले कर लेनी ज़रूरी है। ऐसा ही रमज़ान शरीफ़ और नज़्र मुतय्यन और सुन्नत और नफ़्ल रोज़ों की नियत में ख़ास उन रोज़ों का इरादा और निश्चित करना ज़रुरी नहीं बल्कि सिर्फ़ नियत से भी यह रोज़े अदा हो जाएँगे।

अलू़बत्ता बेहतर यह है कि ख़ास उस रोज़े की नियत कर ले और क़ज़ा रमज़ान और नज़्रे ग़ैर मुतय्यन और कफ़्फ़ारों के रोज़ों की नियत के लिए ख़ास उन रोज़ों का क़सद करना ज़रुरी है। मुतलक़ रोज़ों की नियत करने से यह रोज़े अदा न होंगे।

## चाँद देखने का बयान

उन्तीस शाबान को ग़ुरूब आफ़ताब के वक़्त चाँद की जुस्तजू वाजिब है अगर चाँद न हो तो शाबान के तीस दिन पूरे किये जाएँ। शाबान के चाँद की जुस्तजू भी बेहतर है ताकि उसके ह़िसाब से शाबान के तीस दिन पूरे कर लिए जाएँ।

अगर उन्तीसवें शाबान को रमज़ान शरीफ़ का चाँद देख लिया जाए तो सुबह़ को रोज़ः रखा जाए। अगर उन्तीस शाबान को आसमान साफ़ न हो और अब्र या ग़ुबार हो तो एक मुसलमान आ़क़िल, बालिग़, दीनदार, परहेज़गार, सच्चे आदमी की गवाही मोअ़तबर है। चाहे वह ख़बर देने वाली औ़रत ही हो। अगर ऐसे शख़्स ने गवाही दी जिस का फ़ासिक़ होना मालूम नहीं और बज़ाहिर दीनदार परहेज़गार है, तो उस की गवाही भी मोअ़तबर होगी और आसमान साफ़ न होने की सूरत में ईदैन के चाँद के लिए दो परहेज़गार मर्दो या इसी तरह़ के एक मर्द और दो औ़रतों की गवाही शर्त है।

अगर आसमान साफ़ हो तो रमज़ान शरीफ़ और ईदैन के दिन चाँद के लिए कम अज़ कम इतने आदमियों की गवाही ज़रुरी है कि इतने आदमियों के झूठ बोलने और बनावटी बात बनाने का दिल में यक़ीन न हो सके बल्कि उन

की गवाही से चाँद होने का यक़ीन हो और चाँद के बारे में नुजूमियों का क़ौल मोअ़तबर नहीं। अगर दूसरे शहर से चाँद देखने की ख़बर ऐसे तरीक़े पर आए जिस का शरीअ़त में एतिबार है तो यह ख़बर मोअ़तबर होगी। फ़ोन की ख़बर का शरीअ़त में एतिबार नहीं।

अगर कोई शख़्स रमज़ान का चाँद देखे तो उस पर रोज़ः रखना वाजिब है, उसकी शहादत क़ुबूल हो या न हो। फिर अगर उस शख़्स के तीस रोज़े पूरे हो गए लेकिन इमाम या मुफ़्ती ने इफ़्तार का हुक्म नहीं दिया तो उस को चाहिए कि इक्तीसवां रोज़ः भी रखे।

अगर कोई शख़्स चाँद देखे तो उस के लिए ज़रुरी है कि शहर के हाकिम या मुफ़्ती को इस की इत्तिलअ़ कर दे अगर ऐसी जगह चाँद देखा जहाँ कोई हाकिम या मुफ़्ती नहीं तो उस को चाहिए कि गाँव की मस्जिद में आकर इत्तिलाअ़ दे। फिर अगर आसमान साफ़ न हो और वह शख़्स मुत्तक़ी दीनदार भी हो तो लोगों को उस की शहादत पर रोज़ः रख लेना चाहिए।

## यौमुश्शक का बयान

अगर उन्तीस शाबान को आसमान साफ़ न होने की वजह से चाँद नज़र न आया तो अगला दिन यौमुश्शक है यानी उस दिन यह शक हो कि आज शाबान है या रमज़ान अगर आसमान बिलकुल साफ़ हो और चाँद नज़र न आए तो वह यौमुश्शक नहीं कहलाएगा। क्योंकि यह दिन शाबान का होना अग़लब है। शक के दिन रमज़ान या किसी वाजिब रोज़ः की नियत करनी मकरुह है।

शक के दिन नफ़्ली रोज़ः रखना अफ़ज़ल है या न रखना, इस में यह तफ़्सील है कि जो शख़्स तमाम शाबान के रोज़े रखे या किसी ख़ास दिन का रोज़ः रखता हो और वही यौमुश्शक हो या शाबान के आख़िरी तीन दिन के रोज़े रखे तो उस के लिए रोज़ः रखना अफ़ज़ल है। वरना ख़वास के लिए रोज़ः रखना बेहतर है और अ़वाम ज़वाल से पहले तक चाँद की ख़बर का इन्तिज़ार करके रोज़ः इफ़्तार करें। ख़वास से वह लोग मुराद हैं जो यौमुश्शक की नियत से वाक़िफ़ हों और जो शख़्स यौमुश्शक की नियत से वाक़िफ़ न हो वह अ़वाम में दाख़िल है। यौमुश्शक की नियत यह है कि सिर्फ़ नफ़्ल रोज़े की नियत करे और इस बात का ख़त्रा दिल में न लाए कि अगर रमज़ान हुआ तो रमज़ान का रोज़ः हो जाएगा।



## रोज़े की शर्तें

**रोज़े की शर्तें दो क़िस्म की हैं-**

१- शरायत वजूब

२- शरायत सेहत

रोज़ः सही होने के लिए जिन बातों का पाया जाना ज़रुरी है उन को शरायत सेहत कहते हैं।

रोज़ः वाजिब होने के लिए जिन बातों का पाया जाना ज़रुरी है उन को शरायत वजूब कहते हैं।

## रोज़े के शरायत वजूब

**रोज़ः वाजिब होने की चार शर्तें हैं-**

**१- इस्लामः-** इस्लाम का मानने वाला हो, काफ़िर पर रोज़ः वाजिब नहीं।

**२- बुलूगः-** बालिग़ हो, नाबालिग़ बच्चे पर रोज़ः वाजिब नहीं। अल्बत्ता आ़दत डालने के लिए नाबालिग़ बच्चों से भी रोज़ः रखवाना चाहिए। जिस तरह नमाज़ पढ़वाने का एहतिमाम करने की ह़दीस में ताकीद है। उसी तरह रोज़ः रखवाने की भी तर्ग़ीब दी गई है, लेकिन उन्हीं बच्चों से रखवाया जाए जो रोज़े की भूक प्यास बर्दाश्त करने की क़ुव्वत रखते हों।

**३- सौमः-** रमज़ान के रोज़े की फ़र्ज़ियत से वाक़िफ़ हों।

**४- माज़ूर न हो-** यानी कोई ऐसा उ़ज़्र न हो जिस में शरीअ़त ने रोज़ः न रखने की इजाज़त दी है, जैसे- सफ़र, बुढ़ापा, मर्ज़, जिहाद आदि।

# शरायत सेहत

१- काफ़िर का रोज़ः सही नहीं होगा, जब तक कि इस्लाम न क़ुबूल कर ले।

२- औरतों का हैज़ व निफ़ास से पाक होना ज़रुरी है।

३- नियत करना, यानी दिल में रोज़ः रखने का इरादा करना, रोज़ः रखने का इरादा किये बग़ैर कोई शख़्स दिन भर उन चीज़ों से रुका रहे जिन से रोज़े में रुका जाता है तो उस का रोज़ः सही न होगा।

# रोज़े के फ़रायज़

रोज़े में सुबह़ सादिक़ नमूदार होने से ग़ुरूब आफ़्ताब तक तीन बातों से रुका रहना फ़र्ज़ हैः-

१- सुबह़ सादिक़ से ग़ुरूब आफ़्ताब तक कुछ न खाना।

२- सुबह़ सादिक़ से ग़ुरूब आफ़्ताब तक कुछ न पीना

३- सुबह़ सादिक़ से ग़ुरूब आफ़्ताब तक जिन्सी लज़्ज़त से रुका रहना।

# रोज़े के सुन्नत व मुस्तह़बात

१- सह़री का एहतिमाम करना, सुन्नत है। चाहे वह चन्द खजूरें या चन्द घूँट पानी ही हो।

२- सह़री आख़ीर वक़्त में खाना मुस्तह़ब है, जबकि सुबह़ सादिक़ होने में कुछ ही देर बाक़ी हो।

३- रोज़े की नियत रात ही में कर लेना मुस्तह़ब है।

४- इफ़्तार जल्द करना, यानी सूरज डूब जाने के बाद देर न करना मुस्तह़ब है।

५- छुहारे, खजूर या पानी से इफ़्तार करना मुस्तह़ब है।

६- ग़ीबत, चुगली, ग़लतबयानी, शोर व हंगामा, ग़ुस्सा और ज़्यादती से बचने का एहतिमाम करना मस्नून है, यह काम यूँ भी ग़लत हैं लेकिन रोज़े में उन से बचने का और ज़्यादा एहतिमाम करना चाहिए।



# रोज़े के फ़ासिद होने की चीज़ें

**रोज़े में तीन चीज़ों से बचना फ़र्ज़ है-**

१- कुछ खाने से

२- कुछ पीने से।

३- जिन्सी लज़्ज़त ह़ासिल करने से।

## वह चीज़ें जिनसे रोज़ः मकरुह हो जाता है-

उन चीज़ों का बयान जिस से रोज़ः फ़ासिद तो नहीं होता, लेकिन मकरूह हो जाता है, उन सब चीज़ों की कराहत तन्ज़ीही है, तह़रीमी नहीं।

१- किसी चीज़ का ज़ायक़ा चखना, अल्बत्ता कोई ख़ातून मजबूर हो तो वह खाने की चीज़ों का ज़ायक़ा पकाते वक़्त, या बाज़ार से ख़रीदते वक़्त चख ले कि उस का शौहर बदमिजाज़ है, या इस तरह कोई नौकर अपने आक़ा के ख़ौफ़ से चख ले तो यह मकरुह नहीं।

२- मुँह में कोई चीज़ चबाना या यूँ ही डाले रखना। जैसे- कोई ख़ातून अपने नन्हे बच्चे को खिलाने के लिए अपने मुँह में कोई चीज़ दबाए या नर्म करने के लिए या ठंडा करने के लिए मुँह में डाले तो यह मकरुह है, अल्बत्ता मजबूरी की सूरत में जायज़ है। जैसे-

किसी का बच्चा भूका है और वह सिर्फ़ वही चीज़ खाता है जो मुँह में चबाकर उस को दी जाए, और कोई बिना रोज़े वाला आदमी भी मौजूद न हो तो इस सूरत में चबाकर खिलाना मकरुह है।

३- रोज़े में कोई ऐसा काम करना मकरुह है जिस से इतनी ज़्यादा कमज़ोरी पैदा हो जाने का अन्देशा हो कि रोज़ः तोड़ना पड़ेगा।

४- कुल्ली करने या नाक में पानी डालने की ज़रुरत से ज़्यादा एहतिमाम और ग्लू करना।

५- बिलावजह मुँह में थूक जमा करके थूकना।

६- बेक़रारी, घबराहट का इज़्हार करना।

७- ग़ुस्ल की हाजत हो और मौक़ा भी हो फिर भी कोई शख़्स बिलावजह जानबूझकर सुबह सादिक़ के बाद तक ग़ुस्ल न करे तो यह मकरूह है।
८- मंजन, पेस्ट या कोयला वग़ैरह चबाकर उस से दाँत मांझना।
९- रोज़े में ग़ीबत करना, झूठ बोलना, गाली गलौज और शोर व हंगामा करना, मारना, पीटना और किसी पर ज़्यादती करना।
१०- जानबूझकर हलक़ में धुवाँ या ग़ुबार पहुँचाना मकरूह है, और अगर लोबान वग़ैरह सुलगा कर उस को सूंघा या हुक्का सिगरेट बीड़ी वग़ैरह पी लिया तो रोज़ा जाता रहा।

## वह चीज़ें जिन से रोज़ः मकरुह नहीं होता

१- रोज़े का ख़याल न रहा और भूले से कुछ खा पी लिया या बीवी से जिन्सी लज़्ज़त हासिल की, चाहे एक बार ऐसा किया हो या कई बार हुआ। हद यह है कि भूले से पेट भर कर भी खा पी लिया, तब भी रोज़ः नहीं टूटा और न मकरुह हुआ।
२- दिन में रोज़ेदार सो गया और सोते वक़्त कोई ऐसा ख़्वाब देखा जिस से ग़ुस्ल की हाजत हो गई तो उस से रोज़ः मकरूह नहीं होता।
३- दिन में सुर्मा लगाना, सर में तेल डालना या बदन पर मालिश करना, ख़ुशबू सूंघना दुरुस्त है, सुर्मा लगाने के बाद अगर बलग़म में सुर्मे की स्याही महसूस हो तब भी रोज़ः मकरुह नहीं होता।
४- अपनी बीवी के साथ लेटना, बग़लग़ीर होना, बोसा लेना दुरुस्त है, हाँ अगर मनी के ख़ारिज होने का अन्देशा हो या सोहबत कर लेने का ख़त्रा हो तो फिर यह सब काम मकरुह है।
६- रोज़े में हलक़ के अन्दर मक्खी चली गई या बेअख़्तियार गर्द व ग़ुबार व धुवाँ चला गया तो इस से रोज़ः मकरुह नहीं होता। हाँ अगर उन में कोई चीज़ जानबूझ कर पेट में पहुँचाई जाए तो रोज़ः जाता रहेगा।
७- कान में पानी चला जाए या कोई जानबूझ कर डाल ले तो इस से रोज़ः मकरुह न होगा।



८- दाँतों के दर्मियान ग़िज़ा या बोटी का कोई रेशा या डली का कोई टुकड़ा रह गया और उस को मुँह से नहीं निकाला बल्कि अन्दर ही निगल गया। चाहे यह चुनने की मिक़्दार से कम हो तो रोज़ः फ़ासिद न होगा।
९- बेअख़्तियार क़ै हो गई मुँह भर कर हुई या उस से कम या ज़्यादा बहरहाल रोजः मकरूह न होगा अगर इसी सूरत में बेअख़्तियार कुछ हिस्सा पेट में लौट जाए तब भी रोज़ः मकरुह न होगा।
१०- रोज़े में किसी वक़्त भी मिस्वाक करना, चाहे ख़ुश्क लकड़ी से की जाए या बिल्कुल ताज़ी लकड़ी से, नीम की मिस्वाक का कड़वा ज़ायक़ा मुँह में महसूस हो, तब भी रोज़ः मकरुह न होगा।
११- गर्मी की शिद्दत में कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, मुँह हाथ धोना, नहाना, कपड़ा तर करके बदन पर रखना मकरुह नहीं।
१२- अगर पान खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ली और ग़रारा करके मुँह साफ़ कर लिया, लेकिन थूक में सुर्ख़ी अब भी महसूस हो रही है तो कोई हर्ज नहीं इस से रोज़ः मकरुह नहीं होगा।
१३- अगर जानबूझ कर क़ै की लेकिन थोड़ी क़ै की मुंह भर कर न हो तो रोज़ः नहीं टूटा और न मकरुह हुआ।
१४- मिस्वाक करने में या यूँ ही मुँह से ख़ून निकला और थूक के साथ निगल लिया। अगर ख़ून की मिक़्दार थूक से कम हो और हलक़ में ख़ून का मज़ा मालूम न हो तो रोज़ः नहीं टूटेगा।

## सहरी और इफ़्तार

रोज़ः रखने की ग़रज़ से सुबह सादिक़ से पहले जो कुछ खाया पिया जाता है उसे 'सहरी' कहते हैं, हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ख़ुद भी सहरी का एहतिमाम फ़रमाते और दूसरों को भी सहरी खाने की ताकीद फ़रमाते। हज़रत अनस (रज़ि०) कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) सहर के वक़्त मुझ से फ़रमातेः-

"मेरा रोज़ः रखने का इरादा है मुझे कुछ खिलाओ।" तो मैं कुछ खजूरें और एक बर्तन में पानी पेश कर देता।"

और आप (सल्ल०) ने सह़री खाने की ताकीद करते हुए इर्शाद फ़रमायाः-
"सह़री खा लिया करो, इसलिए कि सह़री खाने में बड़ी बरकत है।"

बरकत से मुराद यह है कि दीन के कामों में और इ़बादत व इताअ़त में कमज़ोरी मह़सूस न होगी और रोज़े में आसानी होगी। अतः एक मौक़े पर आप (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमायाः-

"दिन को रोज़ः रखने में सह़री खाने से मदद लिया करो और क़ियाम-ए-लैल के लिए कैलूला से मदद लिया करो।"

सह़री खाना सुन्नत है और मुसलमानों के और यहूद व नसारा के रोज़ों में फ़र्क़ यह भी है कि वह सह़री नहीं खाते और मुसलमान सह़री खाते हैं। अगर भूक न हो तो कुछ थोड़ा सा मीठा, या दूध या कम से कम पानी ही पी लेना चाहिए, इसलिए कि सह़री खाने का बड़ा अज्र व सवाब है। ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्ल०) का इर्शाद हैः-

"सह़री का खाना सरासर बरकत है, सह़री खाना कभी न छोड़ो। चाहे पानी का एक घूंट ही पियो, क्योंकि सह़री खाने वालों पर अल्लाह रह़मत फ़रमाता है और फ़रिश्ते उन के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं।" **(अत्तर्गीब)**

ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्ल०) का इर्शाद है कि अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैंः- "अपने बन्दों में सब से ज़्यादा मुझे वह पसंद है जो इफ़्तार में जल्दी करे। (यानी गुरूब आफ़्ताब के बाद हरगिज़ ताख़ीर न करे।)" **(तिर्मिज़ी)**

**ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमायाः-**

"लोग अच्छी ह़ालत में रहेंगे। जब तक वह इफ़्तार में जल्दी करेंगे।

**(बुख़ारी, मुस्लिम)**

## किस चीज़ से इफ़्तार मुस्तह़ब है

खजूर और छुहारे से इफ़्तार करना मुस्तह़ब है और यह मुयस्सर न हो तो फिर पानी से इफ़्तार भी मुस्तह़ब है, ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्ल०) खुद भी इन्हीं चीज़ों से इफ़्तार फ़रमातेः-

"ह़ज़रत अनस (रज़ि०) का बयान है कि ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्ल०) मग़रिब



की नमाज़ से पहले कुछ तर खजूरों से इफ़्तार फ़रमाते थे और अगर यह न होतीं तो चन्द घूंट पानी ही नोश फ़रमा लेते थे।"

**(जामेअ़ तिर्मिज़ी, अबूदाऊद)**

इन्हीं चीज़ों से इफ़्तार की तर्ग़ीब आप (सल्ल०) ने सह़ाबा (रज़ि०) को दी और फ़रमायाः-

"जब तुम में से किसी का रोज़ः हो तो वह खजूर से इफ़्तार करे, खजूर मुयस्सर न हो तो फिर पानी से इफ़्तार करे, पानी इन्तिहाई पाक है।"

**(अहमद, तिर्मिज़ी, अबूदाऊद)**

## इफ़्तार की दुआ़

"اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ"

(ابو داؤد)

**"अल्लाहुम्म लका सुमूतु व अ़ला रिज़्क़िका अफ़्तरतु"**

**अनुवाद-**

"ऐ अल्लाह! मैंने तेरे लिए रोज़ः रखा, और तेरी ही दी हुई रोज़ी से इफ़्तार किया।"

## इफ़्तार कराने का सवाब

दूसरों को इफ़्तार कराना पसंदीदा अ़मल है और इफ़्तार कराने वाले को भी उतना ही अज्र व सवाब मिलता है जितना रोज़ः रखने वाले को मिलता है चाहे वह चन्द लुक़मे खिलाए या एक खजूर ही इफ़्तार करा दे। ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्ल०) का इर्शाद है-

"जिस शख़्स ने किसी रोज़ेदार को इफ़्तार कराया तो उस को रोज़ेदार की तरह अज्र व सवाब मिलता है।"

## बिना सह़री का रोज़ः

रात में सह़री खाने के लिए अगर आँख न खुले, तब भी रोज़ः रखना चाहिए सह़री न खाने की वजह से रोज़ः न रखना बड़ी कम हिम्मती की बात है। केवल सह़री न खाने की वजह से रोज़ः छोड़ना गुनाह है।

अगर कभी आँख देर से खुली और यह ख़याल हुआ कि अभी रात बाक़ी है और कुछ खा पी लिया। फिर मालूम हुआ कि सुबह सादिक़ के बाद खाया पिया है, इस सूरत में रोज़ः न होगा, मगर दिन भर रोज़ेदारों की तरह रहे न कुछ खाए न पिये।

अगर इतनी देर से आँख खुली कि सुबह़ हो जाने का शुबह है तो ऐसे वक़्त में खाना पीना मकरूह है और अगर शुबह हो जाने के बावजूद खा पी लिया तो बहुत बुरा किया। ऐसे वक़्त में खाना गुनाह है फिर बाद में यह मालूम हो कि सुबह़ हो चुकी थी तो क़ज़ा वाजिब है, और अगर रात ही रही, तो क़ज़ा वाजिब नहीं लेकिन एह़तियात का तक़ाज़ा यही है कि क़ज़ा का रोज़ः रखे।

## ऐसी माज़ूरियाँ जिन में रोज़ः न रखने की इजाज़त है

ऐसी माज़ूरियाँ जिन में रोज़ः न रखने की इजाज़त है, वह केवल दस हैं। इन में से कोई माज़ूरी हो तो उस वक़्त रोज़ः छोड़ देने की इजाज़त है, मगर बाद में पूरा करना होगा। इन माज़ूरियों की तफ़्सील यह हैः-

१- सफ़र
२- बीमारी
३- ह़मल
४- बच्चे को दूध पिलाना।
५- भूक प्यास की शिद्दत
६- ज़ईफ़ और बुढ़ापा
७- ख़ौफ़ व हलाक
८- जिहाद



९- बेहोशी
१०- जुनून

## सफ़र

शरीअ़त ने अपने सारे अह़काम में बन्दों की सहूलत और आसानी का पूरा ख़याल किया है, और किसी मामले में भी उन को किसी बेजा मशक़्क़त और तंगी में मुब्तिला नहीं किया है। क़ुर्आन मजीद में रोज़े की फ़र्ज़ियत का एलान करते हुए भी क़ुर्आन ने मुसाफ़िर और मरीज़ की माज़ूरी का लिह़ाज़ किया है और उन को रोज़ः रखने की इजाज़त दी है।

**अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है-**

وَالْفُرْقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَۗ

(सूर बकरः १८५)

### अनुवाद-

तुम में से जो शख़्स इस महीने को पाए उस पर लाज़िम है कि वह इस महीने के रोज़े रखे और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में (रोज़े रख कर) गिनती पूरी कर ले।"

१- सफ़र चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो और उस में हर तरह की सूहलतें ह़ासिल हों या मशक़्क़तें बर्दाशत करनी पड़ रही हों। हर ह़ाल में मुसाफ़िर को रोज़ः रखने की इजाज़त है। अल्बत्ता जिस सफ़र में कोई ख़ास मशक़्क़त न हो तो मुस्तह़ब यही है कि रोज़ः रख ले, ताकि रमज़ान की फ़ज़ीलत व बरकत ह़ासिल हो सके लेकिन मशक़्क़त व परेशानी की सूरत में रोज़ः रखना बेहतर नहीं।

२- अगर रोज़े की नियत कर लेने के बाद या रोज़ः शुरु हो जाने के बाद कोई शख़्स सफ़र पर रवाना हो, तो उस दिन का रोज़ः रखना ज़रुरी है। अल्बत्ता अगर वह रोज़ः तोड़ दे तो कफ़्फ़ारा लाज़िम न आएगा।

३- अगर कोई मुसाफ़िर दोपहर से पहले-पहले कहीं मुक़ीम हो जाए और उस

वक़्त तक उस ने रोज़े को फ़ासिद करने वाला कोई काम नहीं किया है तो उस के लिए भी उस दिन रोज़ः रखना ज़रुरी है। अल्बत्ता अगर वह रोज़ः फ़ासिद कर देगा तो कफ़्फ़ारा वाजिब न होगा।

४- अगर कोई मुसाफ़िर किसी मक़ाम पर कुछ दिन क़याम का इरादा कर ले, चाहे पन्द्रह दिन से कम ही का इरादा कर ले, तब भी बेहतर यह है कि वह रोज़ः रखे। इन दिनों में रोज़ः न रखना मकरूह है और अगर पन्द्रह दिन क़याम का इरादा कर ले तो फिर रोज़ः न रखना जायज़ नहीं।

## बीमारी

१- अगर रोज़ः रखने से किसी बीमारी के पैदा हो जाने का अन्देशा हो या यह ख़याल हो कि दवा न मिलने की वजह से या ग़िज़ा न मिलने की वजह से बीमारी बढ़ जाएगी या यह ख़याल हो कि देर में सेहत हासिल होगी, तो इन तमाम सूरतों में रोज़ः रखने की इजाज़त है, लेकिन यह वाज़ेह रहे कि ऐसा ख़याल करने की कोई वजह ज़रूर होनी चाहिए। जैसे-यह कि कोई नेक माहिर डाक्टर हिदायत करे, या अपना बार-बार का तजुर्बा हो, या गुमान ग़ालिब हो यूँ ही वहम व ख़याल की बिना पर रोज़ः तर्क कर देना जायज़ नहीं।

२- अगर किसी ने केवल अपने वहम ख़याल से कि शायद रोज़ः रखने से मर्ज़ पैदा हो जाएगा या बढ़ जाएगा, न ख़ुद उस का कोई तजुर्बा है और न उस ने किसी माहिर हकीम और डाक्टर ही से मशवरा लिया हो, और रोज़ः नहीं रखा तो वह गुनाहगार होगा और उस को कफ़्फ़ारा भी देना पड़ेगा।

३- किसी बेदीन और शरीअ़त की क़द्र व क़ीमत महसूस न करने वाले डाक्टर के मशवरे पर अ़मल करना भी सही नहीं है।

## हमल

१- अगर किसी ख़ातून को गुमान हो कि रोज़ः रखेगी तो बच्चे को नुक़सान पहुँचेगा या ख़ुद उसी को नुक़सान पहुँचेगा तो उस के लिए रोज़ः न रखने



की इजाज़त है।

२- अगर रोज़े की नियत कर लेने के बाद किसी ख़ातून को मालूम हुआ कि वह हामिला है और उस को गुमान ग़ालिब यह है कि हमल की सूरत में रोज़ः उस के लिए नुक़सानदे हो तो उस के लिए इजाज़त है कि रोज़ः तोड़ दे और फिर क़ज़ा रखे, उस पर कफ़्फ़ारा वाजिब न होगा।

## दूध पिलाने वाली औ़रत

१- दूध पिलाने रोज़ः रखने से गुमान ग़ालिब यह हो कि बच्चे वाली ख़ातून को शदीद नुक़सान पहुँचेगा। जैसे-

दूध ख़ुश्क हो जाएगा और बच्चा भूक से तड़पेगा या ख़ुद अपनी ही जान का ख़त्रा हो तो रोज़ः न रखने की इजाज़त है।

२- और अगर उजरत देकर दूध पिलवाया जा सकता हो और बच्चा भी किसी दूसरी ख़ातून का दूध पी ले तो फिर रोज़ः रखना दुरुस्त है और अगर बच्चा किसी दूसरी ख़ातून का दूध पीता ही न हो तब रोज़ः छोड़ना दुरुस्त है।

३- उजरत पर दूध पिलाने वाली ख़ातून को भी अगर गुमान ग़ालिब हो कि रोज़ः रखने से बच्चे को या ख़ुद उस को नुक़सान पहुँचेगा तो वह रोज़ः छोड़ सकती है।

४- किसी ख़ातून ने रमज़ान के दिन ही दूध पिलाने की मुलाज़िमत शुरु की, उस दिन अगर वह रोज़े की नियत भी कर चुकी हो तब भी उस के लिए रोज़ः तोड़ना जायज़ है, रोज़ः तोड़ने से उस पर सिर्फ़ क़ज़ा लाज़िम होगी, कफ़्फ़ारा वाजिब न होगा।

## भूक प्यास की शिद्दत

अगर कोई शख़्स भूक प्यास की शिद्दत से इस क़दर बेताब हो जाए कि जान-जाने का ख़त्रा पैदा हो जाए तो ऐसी सूरत में रोज़ः न रखने की इजाज़त है।

## ज़ईफ़ और बुढ़ापा

१- कोई शख़्स अब बीमार तो नहीं है लेकिन बीमारी की वजह से इतनी

कमज़ोरी हो गई है कि रोज़ः रखने से दोबारा बीमारी के लौट आने का गुमान ग़ालिब है तो उसके लिए रोज़ः न रखने की इजाज़त है।

२- कोई शख़्स बुढ़ापे की वजह से इन्तिहाई कमज़ोर हो गया है। उस के लिए रोज़ः न रखने की इजाज़त है और चूंकि ऐसे ज़ईफ़ के बारे में यह तवक़्क़ो नहीं है कि वह कभी तन्दुरुस्त होकर क़ज़ा रखेगा। इसलिए उस पर वाजिब है कि रोज़े का फ़िद्या अदा करे, चाहे उसी वक़्त दे या बाद में अदा करे, फ़िद्या की तादाद वही है जो सद्क़-ए-फ़ित्र की है।

## ख़ौफ़ व हलाकत

अगर मेहनत व मशक़्क़त की वजह से जान हलाक होने का अन्देशा हो या कोई ज़ालिम मजबूर कर रहा हो, कि अगर तूने रोज़ः रखा तो जान से मार डालूँगा या शदीद मारुँगा या कोई अंग काट लूँगा तो ऐसे शख़्स के लिए भी रोज़ः न रखने की इजाज़त है।

## जिहाद

दुश्मने दीन से जिहाद की नियत हो और यह ख़याल हो कि रोज़ः रखने से कमज़ोरी आ जाएगी, तो इस सूरत में भी रोज़ः न रखने की इजाज़त है। अगर जिहाद हो रहा हो तब भी रोज़ः न रखने की इजाज़त है। अगर जिहाद नहीं हो रहा है लेकिन जल्द ही अन्देशा है तब भी इजाज़त है। और अगर रोज़ः रख लिया हो और ऐसा मौक़ा पेश आ जाए तो रोज़ः तोड़ देने की भी इजाज़त है, और रोज़ः तोड़ देने से कफ़्फ़ारा लाज़िम न आएगा।

## बेहोशी

अगर किसी पर बेहोशी तारी हो जाए और कई दिन तक यही सूरत रहे तो इस सूरत में जो रोज़े न रखे जायेंगे उन की क़ज़ा वाजिब होगी। अलूबत्ता जिस रात में बेहोशी तारी हुई है, अगर उस दिन बेहोश होने वाले से कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जो रोज़े को फ़ासिद करने वाला हो, और यह भी मालूम न हो कि



बेहोश होने वाले ने रोज़े की नियत की थी या नहीं, तो उस दिन का रोज़ः समझा जाएगा और उस दिन की क़ज़ा लाज़िम न आएगी। अलूबत्ता बक़िया सारे दिनों की क़ज़ा वाजिब होगी।

## जुनून

अगर किसी पर जुनून तारी हो जाए और इस हालत में वह रोज़ः न रख सके तो उस की दो सूरतें हैं:-

एक यह कि किसी वक़्त भी जुनून में कोई इफ़ाक़ा नहीं होता, ऐसी सूरत में तो रोज़े बिल्कुल माफ़ हैं। इनकी न क़ज़ा ही वाजिब होगी और न फ़िद्या वाजिब होगा।

दूसरी सूरत यह है कि किसी वक़्त जुनून में इफ़ाक़ा हो जाता हो तो इस शक्ल में उस पर क़ज़ा वाजिब होगी।

## वह सूरतें जिन में रोज़ः टूट जाता है

१- यकायक कोई ज़बरदस्त दौरा पड़ गया, या कोई ऐसी बीमारी हो गई कि जान पर बन आई या कोई हादसा हो गया हो किसी ऊँचे मक़ाम से गिर पड़ने की वजह से हालत बिगड़ गई तो इन तमाम सूरतों में रोज़ः तोड़ देना जायज़ है।

२- अगर कोई अचानक बीमार पड़ गया और यह अंदेशा तो नहीं है कि जान जाती रहेगी। अलूबत्ता यह अन्देशा है कि अगर रोज़ः न तोड़ा तो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इस सूरत में भी रोज़े तोड़ने की इजाज़त है।

३- अगर किसी को ऐसी शिद्दत की भूक या प्यास लगी हो कि न खाने पीने से हलाक हो जाने का अन्देशा हो, तब भी रोज़ः तोड़ देना दुरुस्त है।

४- किसी हामिला ख़ातून को कोई हादसा पेश आ गया अपनी या बच्चे की जान का डर है तो इस सूरत में भी रोज़ः तोड़ देने का अख़्तियार है।

५- किसी को साँप वग़ैरह ने काट खाया और फ़ौरन दवा वग़ैरह का इस्तेमाल ज़रुरी है तो वह रोज़ः तोड़ देना चाहिए।

६- कमज़ोरी तो थी लेकिन हिम्मत करके रोज़ः रख लिया, दिन में महसूस हुआ कि अगर रोज़ः न खोला तो जान पर बन आएगी या फिर मर्ज़ का शदीद हमला हो जाएगा, तो इस सूरत में भी रोज़ः तोड़ देने की इजाज़त है।

## क़ज़ा का बयान

बिला किसी उ़ज्र के फ़र्ज़ या नज़रे मुतय्यन के रोज़े नहीं रखे या किसी उ़ज्र की वजह से यह रोज़े छूट गये या रोज़ः रख कर किसी वजह से टूट गया या जानकर तोड़ दिया तो इन रोज़ो की क़ज़ा रखना फ़र्ज़ है। ऐसे ही अगर सुन्नत या नफ़्ल रोज़े रखकर फिर तोड़ दिया या किसी वजह से टूट गया तो इस की भी क़ज़ा वाजिब है इसलिए कि रोज़ः शुरु करने के बाद फिर उस का पूरा करना ज़रुरी है।

अगर किसी के रोज़े छूट गये हों तो जब मौक़ा मिले उन की क़ज़ा करे। क़ज़ा करने में जल्दी करनी चाहिए। बिलावजह देर करना मुनासिब नहीं। क़ज़ा के रोज़े लगातार रखना भी ज़रूरी नहीं चाहे लगातार रखे या दर्मियान में फ़ासला करके, दोनों तरह़ जायज़ है। अगर पहले रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा पूरी नहीं की थी कि दूसरा रमज़ानुल मुबारक आ गया तो अब रमज़ान शरीफ़ के अदा रोज़े रखे उस के बाद पहले रोज़ों की क़ज़ा करे।

## कफ़्फ़ारा का बयान

**रोज़ः के कफ़्फ़ारा की तीन सूरते हैं-**

(१) यह कि एक ममलूक ग़ुलाम आज़ाद करे।

(२) यह कि दो महीने के लगातार रोज़े रखे।

(३) यह कि अगर दो महीने के लगातार रोज़े रखने की ताक़त न हो तो साठ मिस्कीनों को दोनों वक़्त पेट भर कर खाना खिलाए या साठ मिस्कीनों को फ़ी आदमी पौने दो सेर गेहूँ या उन की क़ीमत या उन की क़ीमत के बराबर चावल, बाजरा, ज्वार दे दें।

जिन मुल्को में ग़ुलाम ममलूक नहीं होते जैसे हिन्दुस्तान में कफ़्फ़ारा की



सिर्फ़ आख़िरी दो सूरते हैं।

एक दिन के दोनो वक़्तों के खाने का ग़ल्ला या उस की क़ीमत एक ही आदमी को दी जाए। अगर एक शख़्स को एक दिन की मिक़्दार से कम दिया तो अदा न होगा। ऐसे ही अगर एक शख़्स को एक दिन के खाने की मिक़्दार से ज़्यादा दे दिया यानी चन्द यौम का इकट्ठा दे दिया तो यह एक दिन का होगा और जिस क़दर ज़्यादा दिया है, वह कफ़्फ़ारा में शुमार न होगा।

अगर एक रमज़ान शरीफ़ में कई रोज़े तोड़े तो एक ही कफ़्फ़ारा वाजिब होगा। और अगर मुतअद्दिद रमज़ानों में रोज़े तोड़े तो मुतअद्दिद कफ़्फ़ारे लाज़िम होंगे।

## फ़िद्‌या का बयान

अगर इतना बूढ़ा हो गया कि रोज़े नहीं रख सकता और आइन्दा ताक़त आने की उम्मीद भी नहीं रही या इस तरह़ का बीमार है कि सेह़त पाने की उम्मीद नहीं रही तो इन सूरतों में रोज़ों का फ़िद्‌या दे देना काफ़ी है।

### फ़िद्‌या की मिक़्दार-

हर रोज़े के बदले पौने दो सेर गेहूँ या साढ़े तीन सेर जौ या उन में से किसी की क़ीमत या उन की क़ीमत के बराबर का कोई और ग़ल्ला। यही हर फ़र्ज़ और वाजिब नमाज़ के फ़िद्‌या की भी मिक़्दार है।

अगर किसी शख़्स का इन्तिक़ाल हो गया और उस के ज़िम्मे फ़र्ज़ नमाज़ें या रोज़े थे तो वरसा को चाहिए कि उस की नमाज़ों और रोज़ों का फ़िद्‌या अदा करें।

## रोज़ों के मुतफ़र्रिक़ अह़काम व आदाब

१- जो लोग किसी वजह से रोज़ः रखने से माज़ूर हों। उन के लिए भी ज़रुरी है कि वह रमज़ानुल् मुबारक में खुल्लम-खुल्ला न खायें बल्कि बज़ाहिर हर रोज़ेदारों की तरह रहें।

२- जिन लोगों में यह सारी शरायत मौजूद हों। जिन के होते रोज़ः रखना सही भी है और वाजिब भी। फिर किसी वजह से उन का रोज़ः फ़ासिद हो जाए तो उन पर वाजिब है कि दिन के बाक़ी हिस्से में रोज़ेदारों की तरह रहें और खाने-पीने और जिन्सी अफ़आ़ल से परहेज़ करें।

३- कोई मुसाफ़िर दोपहर के बाद अपने घर पहुँच जाए या कहीं क़याम का इरादा कर ले तो उस के लिए मुस्तह़ब है कि दिन के बाक़ी हिस्से में रोज़ेदारों की तरह खाने पीने से परहेज़ करे। इसी तरह कोई ख़ातून अगर दोपहर के बाद हैज़ या निफ़ास से पाक हो जाए तो उस के लिए मुस्तह़ब है कि शाम तक खाने-पीने से परहेज़ करे।

४- अगर कोई शख़्स जानबूझ कर रोज़ः फ़ासिद कर दे, या कोई शख़्स यह समझ कर कि रात बाक़ी है। सुबह़ सादिक़ के बाद खाना खा ले, तो उस के लिए भी वाजिब है कि वह दिन के बाक़ी हिस्से में रोज़ेदारों की तरह रहे और खाने-पीने से एह़तियात करे।

५- अगर बच्चे दोपहर के बाद बालिग़ हो जाएँ या कोई ग़ैर मुस्लिम ईमान ले आए, तो उस के लिए भी मुस्तह़ब है कि वह शाम तक रोज़ेदारों की तरह खाने पीने वग़ैरह से रुका रहे।

६- अगर रोज़ः रखने के बाद किसी ख़ातून को हैज़ आ जाए तो उस का रोज़ः फ़ासिद हो जाएगा। लेकिन उस के लिए भी मुस्तह़ब यही है कि रोज़ेदारों की तरह रहे और खाने-पीने से एहतियात करे।

## नमाज़ तरावीह़ का बयान

'तरावीह़', तरवीह़ की जमा है। तरवीह़ के माने हैं आराम करने के लिए थोड़ी देर बैठना, लेकिन इस्तिलाह़ में तरवीह़ से मुराद वह जल्स-ए-इस्तिराह़त है। जो रमज़ानुल् मुबारक की रातों में पढ़ी जाने वाली मस्नून नमाज़ के दौरान हर चार रकअ़त के बाद किया जाता है और चूंकि इस बीस रकअ़त नमाज़ के दौरान पाँच तरावीह़ करते हैं। इसलिए इस मस्नून नमाज़ को तरावीह़ कहने लगे।



### नमाज़ तरावीह़ का हुक्म-

नमाज़ तरावीह़ सुन्नते मुअ़क्किदह है। (नबी (सल्ल०) ने भी इस का एहतिमाम फ़रमाया, और सह़ाब-ए-किराम (रज़ि०) ने भी, जो शख़्स किसी उ़ज्र के बग़ैर नमाज़ तरावीह़ तर्क करेगा, वह गुनहगार होगा, यह जिस तरह मर्दों के लिए सुन्नते मुअ़क्क़िदह है उसी तरह ख़वातीन के लिए भी सुन्नते मुअक्किदह है। **(दुर्रे मुख़्तार)**

फिर यह भी ख़याल रखना चाहिए कि नमाज़े तरावीह़ रोज़े की ताबेअ़ नहीं है यानी यह समझना बिल्कुल ग़लत है कि तरावीह़ पढ़ना सिर्फ़ उस के लिए ज़रुरी है जिस ने दिन में रोज़ः रखा हो। दोनों अलग-अलग इ़बादतें हैं। जो लोग किसी उ़ज्र या मजबूरी की वजह से रोज़ः न रख सकें। जैसे-

कोई मरीज़ हो या सफ़र में हो और रोज़ः न रख सके या ख़वातीन हैज़ व निफ़ास की ह़ालत में हो और तरावीह़ के वक़्त पाक व साफ़ हो जाए तो उन को नमाज़ पढ़ना चाहिए, न पढ़ने की सूरत में तर्क सुन्नत का गुनाह होगा।

### नमाज़ तरावीह़ की फ़ज़ीलत-

नबी (सल्ल०) ने माहे शाबान की आख़िरी तारीख़ को रमज़ानुल् मुबारक के इस्तिक़बाल में निहायत ही मुवस्सिर ख़ुत्बा दिया और फ़रमाया किः-

"इस महीने की एक रात ऐसी है जो हज़ार महीनों से बेहतर है। जो शख़्स इस महीने में कोई इबादत अपने दिल की ख़ुशी से बतौर ख़ुद करेगा तो उस का अज्र व सवाब इतना होगा जितना दूसरे महीनों में फ़र्ज़ का होता है।"

एक और ह़दीस में तो नबी (सल्ल०) ने इस को मग़्फ़िरत का ज़रिया क़रार दिया है और इर्शाद हैः-

" जिस ने रमज़ान की रातों में ईमानी कैफ़ियत और अज्र की नियत के साथ नमाज़ें (तरावीह़) पढ़ी, अल्लाह उस के वह सारे गुनाह माफ़ कर देगा, जो उस से सरज़द हो चुके हैं।" **(बुख़ारी, मुस्लिम)**

## नमाज़ तरावीह़ किस पर

रमज़ान शरीफ़ के महीने में अ़िशा के बाद बीस रकअ़त पढ़ना। "नमाज़े तरावीह़" है। नमाज़ तरावीह़ को पढ़ना मर्दो और औ़रतों सब के लिए सुन्नते मोअक्किदह है। जिस की बड़ी फ़ज़ीलत और ख़ैर व बरकत है और अफ़ज़ल यह कि नमाज़ तरावीह़ को जमाअ़त के साथ अदा किया जाए। जमाअ़त के साथ नमाज़ तरावीह़ का अदा करना सुन्नत किफ़ाया है, और अगर किसी जगह तरावीह़ की जमाअ़त न हो तो मुह़ल्ले के तमाम मुसलमान गुनाहगार होंगे।

बीस रकअ़त नमाज़ तरावीह़ के बाद नमाज़ वित्र भी जमाअ़त के साथ अदा की जाए औ़रतें भी नमाज़ तरावीह़ जमाअ़त के साथ घर में पढ़ सकती हैं। चन्द औ़रते घरों में जमा होकर किसी मर्द को इमाम बना लें। इमाम मुक़्तदी औ़रतों का मह़रम हो या फिर पर्दे का पूरा इन्तिज़ाम हो।

## शबे क़द्र का बयान

रमज़ानुल् मुबारक की ख़ूबियों में से एक बड़ी ख़ूबी यह है कि इस में एक रात ऐसी है जो हज़ार महीनों से भी अफ़ज़ल है। इसी रात को शबे क़द्र कहते हैं। इस मुबारक रात में क़ुर्आन पाक लौहे मह़फ़ूज़ से आसमाने दुनिया पर उतारा गया। इसलिए इस रात को जितना एज़ाज़ व इकराम हो कम है।

**अल्लाह तआ़ला का इर्शाद है-**

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

**अनुवाद-** 'हमने' इस (क़ुर्आन) को शबे क़द्र में नाज़िल किया। और आप को क्या मालूम कि क़द्र की रात क्या है? क़द्र की रात हज़ार महीनों से बेहतर है; इसमें फ़रिश्ते और रुहुलअमीन (जिब्राईल अलै०) अपने रब की इजाज़त से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। यह (रात अम्न व) सलामती है, फ़ज्र (भोर) के तुलूअ़



(उदय) होने तक।

इस एक रात को एक हज़ार महीनों से अफ़ज़ल बतलाया गया है। महीनों के तिरासी बरस चार महीने होते हैं। बस जिस ख़ुशकिस्मत ने इस एक रात को पा लिया और इबादत इलाही में गुज़ार दिया उस ने गोया तिरासी बरस चार महीने से ज़्यादा का अर्सा इबादते इलाही में गुज़ार दिया। ह़क़ीक़त में यह रात उम्मते मुह़म्मदिया (सल्ल०) के लिए अल्लाह तआ़ला का बहुत बड़ा इनआ़म व इकराम है कि थोड़ी मशक़्क़त और अज्र व सवाब की कोई इन्तिहा नहीं।

इसी वजह से यह उम्मत तमाम साबिक़ा उम्मतों से बढ़ जाएगी। बशर्ते कि इन चीज़ों को मामूली न समझा जाए और उन की शान के मुवाफ़िक़ उन की क़द्र की जाए।

शबे क़द्र आ़मतौर से अ़शरे की ताक़ रातों में होती है। यानी २१, २३,२५,२७,२६ बस मुनासिब है कि कम से कम इन चन्द रातों को जाग कर इबादते इलाही, दुआ़ और इस्तिग़फ़ार में बसर करे।

ह़ज़रत आ़इशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) की ख़िदमत में अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! अगर मुझे शबे क़द्र का पता चल जाए तो क्या दुआ़ माँगू?

हु़ज़ूर (सल्ल०) ने फ़रमाया यह दुआ़ पढ़ो।

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ۔

(ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है और पसन्द करता है माफ़ी को, बस माफ़ फ़रमा दे मुझ को भी)

## सद्क़ा व ख़ैरात का बयान

ज़कात मफ़रूज़ा के अ़लावह जो कुछ भी ख़ुदा के लिए ख़ुदा के बन्दों पर ख़र्च किया जाए वह सद्क़ा व ख़ैरात है।

सद्क़ा व ख़ैरात की बड़ी फ़ज़ीलत और ख़ैर व बरकत है। अल्लाह तआ़ला का इर्शाद है-

"और जो कुछ आगे भेजोगे तुम अपने नफ़्सों के लिए भलाई पाओगे।"

## सद्क़-ए-फ़ित्र

फ़ित्र के माने रोज़ः खोलने के हैं। इस ख़ुशी और शुक्रिया में रमज़ानुल् मुबारक ख़ैर व ख़ूबी के साथ ख़त्म हो गया और रोज़े खुल गये और ईदुल् फ़ित्र का मुबारक दिन आ गया तो मुसलमानों पर एक और इनआ़म किया गया वह यह कि उन पर ईद के दिन एक सदक़ः मुक़र्रर किया गया ताकि उस के ज़रिए से अल्लाह तआ़ला की मज़ीद रज़ा और ख़ुशनूदगी हासिल कर सकें, और उस ख़ुशी के दिन अपने मुफ़्लिस व नादार मुसलमान भाईयों से ग़फ़लत व लापरवाही न हो, बल्कि हर मुसलमान के घर खाने-पीने का सामान पहुँच जाए। इस सद्क़े को सद्क़-ए-फ़ित्र कहते हैं। सद्क़-ए-फ़ित्र हर मुसलमान आज़ाद पर जब कि वह बक़्द्रे निसाब माल का मालिक हो वाजिब है।

बस जो शख़्स मालिके निसाब हो उस पर वाजिब है कि अपनी तरफ़ से सद्क़-ए-फ़ित्र अदा करे और अपनी नाबालिग़ औलाद की तरफ़ से सद्क़-ए-फ़ित्र अदा करे। अल्बत्ता अगर नाबालिग़ बच्चों के पास अपना माल भी हो तो उन के माल से सद्क़-ए-फ़ित्र अदा किया जा सकता है।

## सद्क़-ए-फ़ित्र का निसाब

जो मिक़्दार ज़कात के निसाब की है वही मिक़्दार सद्क़-ए-फ़ित्र के निसाब की है। यानी 'चव्वन माशा दो तोला चाँदी या सात तोला आठ माशा सोना या उन की क़ीमत' लेकिन फ़र्क़ यह है कि ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए पूरे माल पर पूरा साल गुज़र जाए तब ज़कात वाजिब होती है।

और सद्क़-ए-फ़ित्र के निसाब में हर क़िस्म का माल हिसाब में लिया जाएगा। बशर्ते कि हाजत-ए-अस्लिया और क़र्ज़ से बचा हुआ हो। अगर किसी शख़्स के पास उस के इस्तेमाल के कपड़ों से ज़ायद कपड़े रखे हों, या रोज़मर्रा की ज़रुरत से ज़ायद तांबे, पीतल, चीनी वग़ैरह के बर्तन रखे हों, या कोई मकान खाली पड़ा हो और किसी क़िस्म का सामान या कोई ग़ल्ला उस के पास मौजूद



हो जो हाजत-ए-अस्लिया से ज़ायद हो और उन चीज़ों की क़ीमत निसाब के बराबर या ज़ायद हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं।

लेकिन सद्क़-ए-फ़ित्र वाजिब है, सद्क़-ए-फ़ित्र के निसाब पर पूरा साल भर गुज़रना ज़रुरी नहीं। बल्कि अगर उसी रोज़ निसाब का मालिक हुआ हो तब भी सद्क़-ए-फ़ित्र अदा करना वाजिब है।

## सद्क़-ए-फ़ित्र की मिक़्दार

सद्क़-ए-फ़ित्र हर एक आदमी की तरफ़ से पौने दो सेर गेहूँ या उस का आटा या सत्तू होता है। और जौ या जौ का आटा या सत्तू दे, तो साढ़े तीन सेर देना चाहिए। सेर से मुराद अस्सी तोला वज़न है।

अगर जौ और गेहूँ के अ़लावा और कोई ग़ल्ला जैसे चावल, बाजरा, ज्वार वग़ैरह दे तो पौने दो सेर गेहूँ या साढ़े तीन सेर जौ की क़ीमत में जिस क़दर वह ग़ल्ला आता हो उतना देना चाहिए। और अगर क़ीमत दे तो पौने दो सेर गेहूँ या 'साढ़े तीन सेर जौ' की क़ीमत देनी चाहिए। क़ीमत का देना अफ़ज़ल है ताकि मुहताज सहूलत के साथ उस से अपनी ज़रुरत को पूरी कर सके। लेकिन अगर महंगाई का ज़माना हो तो गल्ला की जिन्स से देना अफ़ज़ल है।

एक आदमी का सद्क़-ए-फ़ित्र एक ही मुहताज को दे या थोड़ा-थोड़ा कई मुहताजों को दे या कई आदमियों का सद्क़-ए-फ़ित्र एक ही आदमी को दे। हर तरह़ जाएज़ है।

### सद्क़-ए-फ़ित्र किस को-

सद्क़-ए-फ़ित्र हर उस शख़्स को दिया जा सकता है जो ज़कात लेने का मुस्तहिक़ हो जिन को ज़कात देना जाएज़ नहीं उन को सद्क़-ए-फ़ित्र देना भी जाएज़ नहीं। जिस शख़्स पर खुद सद्क़-ए-फ़ित्र वाजिब हो और सद्क़-ए-फ़ित्र का निसाब मौजूद हो उस को ज़कात और सद्क़-ए-फ़ित्र या कोई और वाजिब सद्क़ा लेना जाएज़ नहीं।

सद्क़-ए-फ़ित्र ईद के दिन सुबह़ सादिक़ के बाद वाजिब होता है। बस जो

शख़्स सुबह़ सादिक़ से पहले मर गया उस के माल में से सद्क़-ए-फ़ित्र नहीं दिया जाएगा और जो बच्चा सुबह़ सादिक़ से पहले पैदा हुआ उस की ओर से सद्क़-ए-फ़ित्र अदा किया जाएगा। अगर वक़्त से पहले रमज़ान शरीफ़ ही में सद्क़-ए-फ़ित्र दिया जाए तो जाएज़ है। सद्क़-ए-फ़ित्र अदा करने का अफ़ज़ल वक़्त ईद के दिन ईद की नमाज़ को जाने से पहले है और ईद की नमाज़ के बाद अदा करे तब भी जाएज़ है और जब तक इस सद्क़े को अदा न किया जाएगा यह वाजिब बाक़ी रहेगा चाहे कितनी ही मुद्दत गुज़र जाए।

## एतिकाफ़ की परिभाषा

एतिकाफ़ के लग़्वी माने- 'मना करना', रोकना, लुज़ूम, ठहरना।

### शरई़ परिभाषा-

मस्जिद में इबादत के इरादे से मख़्सूस शख़्स (बालिग़ मर्द या नाबालिग़ आ़क़िल) की तरफ़ से, रोज़ः और एतिकाफ़ की नियत से ठहरना।

## एतिकाफ़ के अरकान व शरायत

एतिकाफ़ एक रुक्न है, और वह यह कि मस्जिद में ठहरना शर्त है। जहाँ तक शरायत की बात है, तो उस की दो क़िस्में हैंः

(१) मुअ़तकिफ़ (एतिकाफ़ में बैठने वाले) से मुतअ़ल्लिक़।

(२) एतिकाफ़गाह से मुतअ़ल्लिक़।

## मुअ़तकिफ़ से मुतअ़ल्लिक़ शरायत

### १- मुसलमान होना-

काफ़िर का एतिकाफ़ मोअ़तबर नहीं होगा, क्योंकि वह इबादत का अहल नहीं है, इसलिए कि नियत के बग़ैर इबादत सह़ी नहीं होती, और वह नियत का अहल नहीं है। यानी उस की नियत मोअ़तबर नहीं।



### २- आ़क़िल होना-

पागल और लाशुऊर बच्चे का एतिकाफ़ दुरुस्त नहीं होगा, वजह वही है जो ऊपर ज़िक्र हुई।

### ३- जनाबत से पाक होना-

औ़रत के लिए हैज़ व निफ़ास से भी पाक होना चूंकि जुन्बी (नापाक) का मस्जिद में आना मना है। वाजिब एतिकाफ़, मस्नून एतिकाफ़ और एक क़ौल के मुताबिक़ नफ़्ल एतिकाफ़ भी रोज़े के बग़ैर दुरुस्त नहीं।

### ४- नियत-

बग़ैर नियत के इबादत दुरुस्त नहीं होती।

### ५- रोज़ः-

वाजिब और मस्नून एतिकाफ़ के लिए रोज़ः शर्त है, नफ़्ल एतिकाफ़ के लिए शर्त नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर रिवायत के मुताबिक़ नफ़्ल एतिकाफ़ एक दिन से कम बल्कि चन्द सेकेण्ड का भी होता है, और रोज़ः के लिए कम से कम एक दिन का होना ज़रुरी है।

### ६- जिमाअ़ (सम्भोग) से परहेज़-

एतिकाफ़ सह़ी होने के लिए हम बिस्तरी से परहेज़ शर्त है।

## एतिकाफ़ गाह की एक शर्त

### १- मस्जिद-

मर्द के लिए मस्जिद बा जमाअ़त होना शर्त है, चाहे एतिकाफ़ वाजिब हो, या सुन्नत और औ़रत के लिए घर की मस्जिद का होना शर्त है। अल्लाह तआ़ला ने मस्जिद में एतिकाफ़ करने वाले की सिफ़त बयान करते हुए फ़रमायाः-

"और बीवियों से इस ह़ाल में सोह़बत न करो जब कि तुम एतिकाफ़ किये

हुए मस्जिदों में हो।" (सूरः बक़रः १८७)

बस आयत की दलालत इस बात पर है कि एतिकाफ़ की जगह मस्जिद हो, चाहे एतिकाफ़ वाजिब हो, या मस्नून, या नफ़्ल, क्योंकि यह आयत आम है। और रसूलुल्लाह (सल्ल०) का अ़मल मुबारक हमेशा यही रहा है कि आप (सल्ल०) मस्जिदे नबवी में एतिकाफ़ फ़रमाते रहे हैं।

## अफ़ज़ल एतिकाफ़-

सब से अफ़ज़ल एतिकाफ़ की जगह मस्जिदे हराम मक्का मुकर्रमा है, उस के बाद मस्जिदे नबवी, मदीना मुनव्वरह, उस के बाद मस्जिदे अक़सा बैतुल मुक़द्दस फ़िलिस्तीन, उस के बाद ऐसी जामेअ़ मस्जिद जिस में ज़्यादा लोग नमाज़ पढने आते हों, और नमाज़ पंचगाना भी बा जमाअत होती हो, उस के बाद जिस में ज़्यादा मुसल्ली (नमाज़ी) आते हों, उस में एतिकाफ़ दूसरी मस्जिद के मुक़ाबले में अफ़ज़ल होगा, जैसा कि फ़ुक़हा की तहरीरों से ज़ाहिर होता है।

# एतिकाफ़ की क़िस्में

एतिकाफ़ की तीन क़िस्में हैं-

१- वाजिब

२- सुन्नत

३- नफ़्ल

## (१) वाजिब-

वाजिब एतिकाफ़ नज़र मुतलक़ हो जैसे-

"अगर मेरा फ़लां काम हो गया तो इतने दिन के एतिकाफ़ में बैठूँगा।"

या नज़र मुफ़ीद हों जैसेः "कोई यूँ कहे कि अगर अल्लाह तआ़ला ने मुझे बीमारी से शिफ़ा दी तो मैं रमज़ान के आख़िरी अ़शरा एतिकाफ़ में बैठूँगा।"

नज़र की सेहत के लिए ज़बान से अल्फ़ाज़ ज़रुरी हैं, अगर सिर्फ़ दिल में नियत की, तो नज़र सही नहीं होगी।



# नज़र का एतिक़ाफ़

नज़र का एतिकाफ़ कम से कम एक दिन का होना ज़रुरी है, क्योंकि इस में रोज़ः रखना ज़रुरी है, अगर कोई बग़ैर रोज़ः के एतिक़ाफ़ में बैठेगा, तो उस की नज़र पूरी नहीं होगी।

अगर कोई आदमी सिर्फ़ दिन के एतिक़ाफ़ की नज़र माने, तो नज़र सही होगी, और उस पर लाज़िम होगा कि सुबह सादिक़ तुलूअ़ होने से पहले मस्जिद आ जाए, और गुरूब आफ़ताब के बाद मस्जिद से बाहर जा सकता है, क्योंकि रोज़ः सुबह सादिक़ से शुरु होकर गुरूब आफ़ताब पर ख़त्म हो जाता है।

इस के बरख़िलाफ़ अगर सिर्फ़ रात में एतिक़ाफ़ की नज़र माने, तो नज़र सही नहीं होगी, और उस का पूरा करना लाज़िम नहीं होगा, क्योंकि रात में रोज़ः नहीं होता है बल्कि सिर्फ़ दिन में होता है, और नज़रे एतिक़ाफ़ के लिए रोज़ः ज़रुरी है। हाँ अगर दिन व रात चौबीस घंटे के एतिकाफ़ की नज़र मानें, तो नज़र दुरुस्त होगी, और पूरा करना वाजिब होगा।

इस तरह एक दिन से ज़्यादा रातों को छोड़ कर सिर्फ़ दिनों के एतिकाफ़ की नज़र माने या रात व दिन मिलाकर जितनी भी रातों व दिनों के एतिकाफ़ की नज़र मानें, तो नज़र दुरुस्त होगी, और इतने दिनों या इतनी रातों दोनों का एतिकाफ़ तसल्सुल के साथ लाज़िम होगा। अगर नज़र मानते वक़्त सिर्फ़ दिन बोले, रात न बोले, तो दिन के साथ रात का भी एतिक़ाफ़ लाज़िम होगा, जबकि उर्फ़ में सिर्फ़ दिन बोलने की सूरत में रात छोड़ना न होता हो, या नज़र मानने वाला ख़ुद साफ़ लफ़्ज़ो में रात को छोड़ने की बात न कही हो, वरना रात का एतिकाफ़ लाज़िम न होगा, बल्कि सिर्फ़ दिन का वाजिब होगा।

ऐसी सूरत में हर दिन सुबह सादिक़ तुलूअ़ होने से पहले मस्जिद में दाख़िल होगा, और गुरुब आफ़ताब के बाद मस्जिद से निकल जाएगा। अगर मस्जिद में रुकना चाहे तो कोई हर्ज नहीं।

अगर कोई आदमी रोज़े को छोड़ कर एतिकाफ़ की नज़र माने, तो रोज़ः छोड़ नहीं सकता, इसलिए कि रोज़े के बग़ैर नज़र वाजिब का एतिकाफ़ नहीं हो

सकता, फ़तावा रहीमिया में लिखा हैः-

जब कोई आदमी कहेः- अल्लाह के वास्ते बग़ैर रोज़े के एक महीने एतिकाफ़ में बैठूँगा, तो उस पर रोज़े के साथ एक महीने का एतिकाफ़ लाज़िम होगा।

अगर कोई आदमी मुतलक़ एक महीने के एतिक़ाफ़ की नज़र माना, और वह रमज़ानुल मुबारक के महीने में मोअ़तकिफ़ हो गया, तो उस की नज़र का एतिकाफ़ नहीं होगा, बल्कि वह नफ़्ल होगा। नज़र के एतिकाफ़ को अदा करने के लिए रमज़ान के महीने को छोड़ कर दूसरे महीनों में रोज़े के साथ एतिकाफ़ करना लाज़िम होगा।

अगर किसी ने पूरे रमज़ान या बाज़ दिनों में एतिकाफ़ की नज़र मानी, लेकिन मुक़र्ररह माह रमज़ान या दिनों में एतिकाफ़ नहीं कर सका, यहाँ तक कि रमज़ान गुज़र गया, तो वह आने वाले रमज़ान और दीगर वाजिब रोज़े को छोड़ कर दूसरे दिनों में इसी रमज़ान की क़ज़ा या मुतलक़ मुसल्सल रोज़े के साथ नज़र एतिकाफ़ पूरा करेगा, इसलिए कि नज़र मफ़ीद जब उस का वक़्त मुक़र्ररह गुज़र जाए तो नज़र मुतलक़ के हुक्म में हो जाती है।

अगर किसी ने नफ़्ल रोज़ः रखा, और सूरज निकलने के बाद उस दिन एतिकाफ़ की नज़र मानी, तो उस का एतिकाफ़ दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि शरई दिन तुलूअ़ सुबह सादिक़ से गुरूबे आफ़ताब तक होता है, और यहाँ पूरे दिन का एतिकाफ़ नहीं पाया गया, और नज़रे एतिकाफ़ कम से कम एक दिन का होता है, इसलिए उस की नज़र दुरुस्त नहीं होगी।

## (२) सुन्नत-

सुन्नत रमज़ानुल मुबारक का आख़िरी अ़शरा (दस दिन) है, यह सही क़ौल के मुताबिक़ "**سنت مؤكده على الكفاية**"है, क्योंकि आप (सल्ल०) हमेशा आख़िरी अ़शरा का एतिकाफ़ फ़रमाते रहे, साहिबे हिदाया का बयान हैः-

"सही बात यह है कि एतिकाफ़ सुन्नते मोअक्किदह है, इसलिए कि नबी करीम (सल्ल०) ने रमज़ान के आख़िरी दस दिन एतिकाफ़ में बैठने पर पाबन्दी



की है, और एतिकाफ़ पर पाबन्दी सुन्नत होने की दलील है।"

हज़रत आइशा (रज़ि०) से रिवायत हैः-

**"أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله ، ثم اعتكف أزواجه من بعده "(٣)**

"नबी करीम (सल्ल०) रमज़ान के आख़िरी दस दिनों का एतिकाफ़ फ़रमाते रहे यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला ने आप (सल्ल०) को अपने यहाँ बुला लिया, फिर आप (सल्ल०) के बाद आप की अज़्वाजे मुतह्हरात ने (इन ही दिनों का) एतिकाफ़ फ़रमाया।" **(बुख़ारी, अबूदाऊद, तिर्मिज़ी)**

## (३) नफ़्ल-

नफ़्ल, ज़ाहिर रिवायत के मुताबिक़ नफ़्ल एतिकाफ़ चन्द मिनट का भी दुरुस्त है, मस्जिद में दाख़िल होते ही एतिकाफ़ की नियत कर ले तो जब तक मस्जिद में रहेगा एतिकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा। चुनांचे अ़ल्लामा इब्ने नजीम मिस्री (रह०) लिखते हैं-

(मुसन्नफ़ का क़ौल, कम से कम नफ़्ल एतिकाफ़ एक लम्हा है) इसलिए इमाम मुहम्मद (रह०) ने किताबुल् असल में लिखा हैः- "जब कोई एतिकाफ़ की नियत से मस्जिद में दाख़िल हो, तो वह जब तक मस्जिद में रहेगा, मोअ़तकिफ़ समझा जाएगा, और जब मस्जिद से निकलेगा, तो एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा, यही ज़ाहिर रिवायत है।

वाजिब और मस्नून एतिकाफ़ के लिए चाहे वह अदा हो या क़ज़ा, हर सूरत में रोज़ः ज़रूरी है, अल्बत्ता फ़त्वा के मुताबिक़ नफ़्ल एतिकाफ़ के लिए रोज़ः ज़रुरी नहीं है, क्योंकि एतिकाफ़ चन्द मिनटों का भी हो सकता है, और रोज़ः पूरे दिन का होता है।

"रसूल (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमायाः "बग़ैर रोज़ः के एतिकाफ़ नहीं।"

अ़ल्लामा इब्ने नजीम मिस्री (रह०) ने नफ़्ल एतिकाफ़ में रोज़ः की शर्त न होने के विषय में लिखा हैः

"ज़ाहिर रिवायत यह है कि नफ़्ल एतिकाफ़ के लिए रोज़ः शर्त नहीं है, उस की सराहत मब्सूत शरह़ तह़ावी, फ़तावा क़ाज़ी ख़ाँ, ज़ख़ीरा, फ़तावा जहीरिया काफ़ी, बिदाया-वन्निहाया, ग़ायतुलू बयान वग़ैरह में है। सभों ने सरीह़ अल्फ़ाज़ में कहा है कि ज़ाहिर रिवायत यह है कि नफ़्ल एतिकाफ़ के लिए रोज़ः शर्त नहीं है। **(अलूबहरुर्राइक भाग २-३००)**

## पहले और दूसरे अशरे का एतिकाफ़

आख़िरी अ़शरा का एतिकाफ़ सुन्नते मोअक्किदह किफ़ाया है, इसके अ़लावह पहले अ़शरा (१ ता १० रमज़ान) और दूसरा अ़शरा (११ ता २० रमज़ान) का एतिकाफ़ मुस्तह़ब है, क्योंकि आप (सल्ल०) ने आख़िरी अ़शरे का एतिकाफ़ पाबन्दी से फ़रमाया है, एक मर्तबा किसी उ़ज़्र की वजह से तर्क फ़रमाया, तो शव्वाल में उसकी क़ज़ा फ़रमाई, पहले और दूसरे अ़शरे का एतिकाफ़ करना आप (सल्ल०) से साबित है। चुनांचे ह़ज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि०) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने रमज़ान के पहले अ़शरे का एतिकाफ़ किया, फिर दूसरे अ़शरे का एतिकाफ़ छोटे ख़ेमे में किया, इस एतिकाफ़ के दौरान सर मुबारक ख़ेमे से निकाल कर फ़रमायाः मैं ने पहले अ़शरे का एतिकाफ़ किया तो लैलतुल क़द्र तलाश करता रहा, फिर मैंने दूसरे अ़शरे का एतिकाफ़ किया तो मुझ से एक फ़रिश्ते ने आकर कहा कि लैलतुल क़द्र तो रमज़ान के आख़िरी अ़शरे में है, अब जो मेरी सुन्नत की इत्तिबअ़ में एतिकाफ़ का इरादा रखता हो उसको चाहिए कि आख़िरी अ़शरे में एतिकाफ़ करे। **(मुस्लिम)**

## नाबालिग़ का एतिकाफ़

नाबालिग़ का एतिकाफ़ दुरुस्त है, क्योंकि एतिकाफ़ के सह़ी होने के लिए बालिग़ होना शर्त नहीं है। अलूबत्ता समझदार बाशुऊर होना शर्त है, ऐसे बाशुऊर नाबालिग़ बच्चे के एतिकाफ़ से सुन्नते मोअक्किदह अ़ललूकिफ़ाया भी अदा हो जाएगा, बह़र में है-



"नाबालिग़ होना एतिकाफ़ के लिए शर्त नहीं है, यहाँ तक कि आ़क़िल बच्चे का भी एतिकाफ़ सह़ी हो जाता है, जिस तरह़ उस का रोज़ः दुरुस्त होता है।" **(फ़त्हुलू क़दीर भाग २-४०३)**

## किस का एतिकाफ़ में बैठना बेहतर है?

एतिकाफ़ में बैठने के लिए बाशुऊर और मुसलमान होना ज़रुरी है। लिहाज़ा इस क़ैद की रिआ़यत से हर मुसलमान (बच्चा, नौजवान और बूढ़ा) एतिकाफ़ में बैठ सकता है, चाहे नेकोकार इबादत गुज़ार हो, या गुनाहगार हो, अलूबत्ता एतिकाफ़ के अह़काम से आगाह नेकोकार शख़्स एतिकाफ़ में बैठे तो ज़्यादह बेहतर होगा, क्योंकि वह एतिकाफ़ का ह़क़ ज़्यादा अदा कर सकेगा, वैसे बद्कार शख़्स को ख़ासतौर पर एतिकाफ़ में बैठना चाहिए, क्योंकि उसे गुनाहों से तौबः का ज़्यादा मौक़ा मिलेगा, और इस ह़ालत में नफ़्स भी तौबः की तरफ़ मायल होगा। **(बिदाअि-२-२७४)**

## एतिकाफ़ और मुसलमानों की आबादी

एतिकाफ़ करना मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है न कि मस्जिद का ह़क़, अलूबत्ता एतिकाफ़ के दुरुस्त होने के लिए मस्जिद का होना ज़रुरी है। चुनांचे मब्सूत में है। **(मब्सूत-भाग ३- १२१)**

"एक शख़्स मस्जिद में एतिकाफ़ की नियत से बैठा, मस्जिद मुन्हदिम हो गई, यह एक ऐसा उ़ज़्र है जिस की बिना पर दूसरी मस्जिद मुन्तक़िल हो जाएगा, इसलिए कि मुन्हदिम मस्जिद में ठहरना मुम्किन नहीं है और वह मस्जिद एतिकाफ़ के लायक़ नहीं रही, क्योंकि एतिकाफ़ उस मस्जिद में दुरुस्त है, जहाँ पंच वक़्ता बा जमाअ़त नमाज़ हो रही हो, और यहाँ मुन्हदिम मस्जिद में पंच वक़्ता बा जमाअ़त नमाज़ क़ायम नहीं है। लिहाज़ा दूसरी मस्जिद मुन्तक़िल होने के सिलूसिले में माज़ूर होगा।"

इस से मालूम हुआ कि एतिकाफ़ दुरुस्त होने के लिए मस्जिद का होना शर्त है, जैसा कि क़ुर्आन पाक में भी इस तरफ़ इशारा फ़रमाया गया है-

"जब तुम एतिकाफ़ किए हो मस्जिदों में" **(सूरः बक़रः-१८७)**

चूंकि एतिकाफ़ मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है, इसी वजह से उस को एतिकाफ़ की तकमील के लिए दूसरी मस्जिद मुन्तक़िल होना ज़रूरी होगा, अगर एतिकाफ़ मस्जिद का हक़ होता तो एतिकाफ़ ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मस्जिद मुन्हदिम हो चुकी।

## एतिकाफ़ के लिए मस्जिद बा जमाअ़त

ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ दुरुस्त है जिस में पाँचों वक़्त बा जमाअ़त नमाज़ होती है। फ़तावा खानिया में है-

"हर उस मस्जिद में एतिकाफ़ दुरुस्त है जहाँ अज़ान व इक़ामत होती हो, यही सही क़ौल है, हज़रत उ़मर (रज़ि०) का इर्शाद है एतिकाफ़ सिर्फ़ ऐसी मस्जिद में दुरुस्त है, जहाँ अज़ान व इक़ामत होती हो।"

अल्लाह तआ़ला ने मस्जिद में एतिकाफ़ करने वालों की सिफ़त बयान करते हुए फ़रमायाः-

"और बीवियों से इस हा़ल में सोहबत न करो जब तुम एतिकाफ़ किये मस्जिदों में हो।" **(सूरः बकरः-१८७)**

आयत में मुतलक़ मस्जिद का ज़िक्र है जिस से मालूम होता है कि मस्जिद बा जमाअ़त हो, या मस्जिद में एक दो वक़्त की जमाअ़त होती हो या मुतलक़ जमाअ़त न होती हो, सब में एतिकाफ़ दुरुस्त है, लेकिन इस आयत के उ़मूम की तख़्सीस रसूलुल्लाह (सल्ल०) के क़ौल व अ़मल और आसारे सहा़बा (रज़ि०) से होती है, चुनांचे सही़ह़ ह़दीस से साबित है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) मस्जिदे नबवी में एतिकाफ़ फ़रमाते थे। **(बुख़ारी)**

ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ़रमायाः "एतिकाफ़ (दुरुस्त) नहीं मगर जमाअ़त वाली मस्जिद में।"

**(सुनन बैहक़ी)**

ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि०) से रिवायत है कि "एतिकाफ़ सिर्फ़ ऐसी मस्जिद में सही़ह़ होता है, जहाँ बाजमाअ़त नमाज़ होती हो, इन्ही अल्फ़ाज़ के साथ



ह़ज़रत हुज़ैफ़ा, ह़ज़रत अ़ली (रज़ि०) और इमाम ज़हरी (रह़०) वग़ैरह ताबअ़ीन से मरवी है। **(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा)**

**नोट-** नफ़्ल एतिकाफ़ के लिए मस्जिद बाजमाअ़त होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ऐसी मस्जिद में भी दुरुस्त है जहाँ बाजमाअ़त नमाज़ न होती हो।

## कितनी मस्जिदों में एतिकाफ़ ज़रूरी है?

**प्रश्न-** अगर एक आबादी में मुतअ़द्दिद मस्जिदें हों, उन में से एक मस्जिद में कोई शख़्स मोअ़तकिफ़ हो जाए, तो यह तमाम अहले शहर की तरफ़ से सुन्नत किफ़ाया की अदायगी के लिए काफ़ी होगा? या हर मुह़ल्ले की मस्जिद में मुस्तक़िल तौर पर मोअ़तकिफ़ होना ज़रुरी है?

**उत्तर-** इस सिल्सिले में पीछे गुज़र चुका है कि एतिकाफ़ मुसलमानों की आबादी पर है, और बाजमाअ़त नमाज़ वाली मस्जिद होना, एतिकाफ़ दुरुस्त होने के लिए ज़रूरी है, लिहाज़ा जब क़रीब-क़रीब कई मस्जिदें हों, तो किसी भी एक ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ करना तमाम अहले शहर की तरफ़ से काफ़ी हो जाएगा, जिस में पाँचों वक़्त बा जमाअ़त नमाज़ होती हो, अल्बत्ता बेहतर यह है कि शहर की तमाम मसाजिद में एतिकाफ़ किया जाए। (मजमउन्नहूर भाग-१-२५५) में लिखा हैः-

"कहा गया है कि एतिकाफ़ सुन्नते मोअक्किदह किफ़ाया है, यहाँ तक कि अगर शहर के तमाम लोगों ने एतिकाफ़ छोड़ दिया, तो गुनाहगार होंगे, वरना नहीं, एतिकाफ़ का मसला भी अज़ान की तरह़ है।"

इस की नज़ीर तरावीह़ की जमाअ़त की है कि अगर एक शहर के किसी भी मस्जिद में तरावीह़ की जमाअ़त क़ायम हो जाए, तो पूरे शहर वालों की तरफ़ से किफ़ायत कर जाती है, चूंकि तरावीह़ की जमाअ़त सुन्नते मोअक्किदह किफ़ाया है। और एतिकाफ़ भी सुन्नते मोअक्किदह किफ़ाया है, इसलिए शहर की किसी भी एक मस्जिद में कोई शख़्स मोअ़तकिफ़ हो जाएगा, तो तमाम अहले शहर की तरफ़ से सुन्नते मोअक्किदह किफ़ाया की अदाएगी के लिए काफ़ी हो जाएगा। **(रद्दुल मुख़्तार भाग २- ४६५)**

# एतिकाफ़ में बैठने का वक़्त

रमज़ानुल मुबारक में सुन्नत एतिकाफ़ अदा करने के लिए बीसवीं रमज़ान को सूरज गुरूब होने से पहले एतिकाफ़ में बैठे, यही आइम्मा अरबअ़ का मज़हब है, अ़ल्लामा तैबी (रह़०) फ़रमाते हैंः

“इमाम मालिक (रह़०), इमाम अबू ह़नीफ़ा, इमाम शाफ़ई (रह़०) और इमाम अह़मद (रह़०) फ़रमाते हैंः मोअ़तकिफ़ सूरज डूबने से पहले मस्जिद में दाख़िल हो, तब भी एक महीना या दस दिन के एतिकाफ़ की नियत हो, उन आइम्मा अरबअ़ ने इस ह़दीस की तावील की है कि आप (सल्ल०) के नमाज़ फ़ज्र के बाद दाख़िल होने का मतलब यह है कि फ़ज्र की नमाज़ के बाद आप (सल्ल०) मोअ़तकिफ़ में दाख़िल हुए और तन्हाई अख़्तियार की।” **(मिश्कात)**

इस्लामी नुक़्ते नज़र यह है कि रातें दिन के ताबेअ़ होती हैं, सिवाए अ़रफ़ा और नह़र की रातों के, कि उन में दिन रात के ताबेअ़ होता है। इसी बुनियाद पर अ़ल्लामा इब्ने आ़ब्दीन शामी (रह़०) ने एतिकाफ़े नज़र का तज़किरह करते हुए तह़रीर फ़रमाया हैः-

“क्या आप नहीं देखते कि तरावीह़ रमज़ान की पहली रात में पढ़ी जाती है, और शव्वाल की पहली रात में नहीं पढ़ी जाती, इसी बिना पर जब तस्निया या जमअ़ के सेग़ा से एतिकाफ़ की नज़र माने तो सूरज गुरूब होने से पहले मस्जिद में दाख़िल होगा, और नज़र के आख़िरी दिन सूरज डूबने के बाद निकलेगा, जैसा कि फ़तावा रह़ीमिया में इस की सराह़त है।

**(अलुबहरुर्रायक, भाग २-३०५)**

लिहाज़ा रमज़ानुल् मुबारक में बीस तारीख़ को गुरूब आफ़ताब से पहले मस्जिद आ जाना ज़रूरी है। अगर मग़्रिब बाद या अ़िशा बाद मस्जिद आया तो सुन्नत किफ़ाया अदा न होगा, हाँ! नफ़्स एतिकाफ़ में बैठने का सवाब मिलेगा, और वह नफ़्ल एतिकाफ़ होगा। **(शरहुत्तैबी)**



# मुअ़तकिफ़ के ह़ुदूद

एतिकाफ़ में बैठने वाला शख़्स मस्जिद के ह़ुदूद से बिला ज़रूरत और बग़ैर उ़ज्र के बाहर नहीं जा सकता, मस्जिद के ह़ुदूद से मुराद यह है कि जहाँ तक का ह़िस्सा ख़ास नमाज़ पढ़ने के लिए मुतअ़य्यन किया गया है, वह मस्जिद के हुक्म में होने की वजह से क़ाबिले एह़तिराम है। आप (सल्ल०) की सीरते तय्यिबा से यही मालूम होता है कि आप (सल्ल०) एतिकाफ़ की ह़ालत में बिला ज़रूरत मस्जिद के ह़ुदूद से बाहर नहीं निकलते थे, ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि०) से मरवी है किः-

“ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्ल०) मस्जिद से एतिकाफ़ की ह़ालत में सर मुबारक मेरी तरफ़ कर देते, और मैं कंघा कर देती और बिला ज़रूरत घर तशरीफ़ नहीं लाते।” **(बुख़ारी, भाग एक-२७१)**

एक और रिवायत है कि आप (सल्ल०) का ठिकाना ह़ालते एतिकाफ़ में सिवाए मस्जिद के और कहीं नहीं होता, मैं कहता हूँः यह बात अह़ादीस और नुसूस से साबित है।” **(नसबुर्राया भाग २- ४६१)**

वुज़ू ख़ाना, ग़ुस्ल ख़ाना, इस्तिन्जा की जगह, नमाज़े जनाज़ा पढ़ने की जगह, इमाम का कमरा, मस्जिद का सामान रखने के लिए गोदाम, गेट से दाख़िल होने की सीढ़ी, गेट के पास जहाँ जूते चप्पल उतारने के लिए निशान लगा रहता है। यह सब मस्जिद के ह़ुदूद से बाहर हैं, बाज़ मस्जिदों के सह़न में ह़ौज़ बना होता है, और उस के चारों तरफ़ वुज़ू बनाने की जगहें बनी होती हैं, और मस्जिद के ह़िस्से से मुमताज़ होती हैं, यह भी मस्जिद के ह़ुदूद से ख़ारिज हैं।

इसी तरह़ बाज़ मसाजिद में अस्ल मस्जिद के साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह बनाई जाती है, आ़मतौर पर मस्जिद के एक किनारे होती है, इस के बारे में मालूम किया जाए कि यह जगह मुतवल्ली ने मस्जिद के ह़ुदूद में दाख़िल

किया है या नहीं अगर मस्जिद क़रार न दिया हो बल्कि बच्चों की तअ़लीम ही के लिए ख़ास किया हो, तो वह मस्जिद के हुदूद से बाहर है।

मोअ़तकिफ़ (एतिकाफ़ में बैठने वाला) के लिए बिला उज़्र शरअ़ी व फ़ित्री के उन जगहों पर आना दुरुस्त नहीं, आने की सूरत में गुनाहगार होंगे और इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़०) की राय के मुताबिक़ तो एतिकाफ़ ही टूट जाएगा। अल्बत्ता साह़िबैन (रह़०) के क़ौल के मुताबिक़ दिन का अक्सर ह़िस्सा अगर ठहरा रहा तो ठहरे रहने का एतिकाफ़ टूटेगा, यही फ़त्वा है। मगर बिला ज़रुरत शरअ़ी व फ़ित्री मस्जिद के हुदूद से बाहर एक लम्ह़ा के लिए भी निकलना कराहत से ख़ाली नहीं। **(बहरुर्रायक भाग २- ३०२)**

## एतिकाफ़ टूटने की सूरतों का बयान

१- बिला उज़्र शरअ़ी व तबई मस्जिद से बाहर दिन का अक्सर ह़िस्सा ठहरने से एतिकाफ़ टूट जाता है। औ़रत मस्जिदे बैत से बिला उज़्र दिन का अक्सर ह़िस्सा बाहर रही तो उस का एतिकाफ़ टूट जाएगा।

**(दुर्रे मुख़्तार भाग ३-४३७)**

२- बीवी से हम बिस्तरी करने से एतिकाफ़ टूट जाता है, चाहे रात हो या दिन, जानबूझकर हो या भूल कर, इन्ज़ाल हो या न हो, मस्जिद में हो या मस्जिद से बाहर। **(फ़तावा हिन्दीया भाग-१-२१३)**

“और बीवियों से इस ह़ाल में सोह़बत न करो जब तुम एतिकाफ़ किये हो मस्जिदों में।” **(सूरः बक़रः-१८७)**

इसी तरह़ शर्मगाह को छोड़कर जिस्म के दूसरे ह़िस्से से इस्तिमताअ़ और लुत्फ़ अन्दोज़ होने के नतीजे में इन्ज़ाल हो गया, तो एतिकाफ़ नहीं टूटेगा, मगर यह अ़मल ह़राम होगा, दूसरे अल्फ़ाज़ में बह़ालते एतिकाफ़ हर वह अ़मल जो बीवी से हमबिस्तरी की तरफ़ राग़िब करे, जैसेः बोस व किनार होना, मुआ़नक़ा करना और बोसा लेना ह़राम हैं। **(बिदाया-भाग २- २७४)**

३- दौराने एतिकाफ़ ह़ैज़ व निफ़ास के ख़ून के आने से एतिकाफ़ टूट जाएगा, क्योंकि ह़ैज़ व निफ़ास रोज़े के मनाफ़ी हैं, और रोज़े के बग़ैर एतिकाफ़



दुरुस्त नहीं होता है, इस एतिबार से देखा जाए तो ह़ैज़ व निफ़ास से पाक होने की शर्त लगाई गई है। **(दुर्रे मुख़्तार भाग ३-४४३)**

४- दिन में जानबूझ कर खाना, क्योंकि जानबूझ कर खाने से रोज़ः टूट जाता है। **(फ़त्हुल क़दीर-भाग २-३१६)**

५- मुरतद होने से एतिकाफ़ टूट जाता है, इस सूरत में क़ज़ा लाज़िम नहीं होगी। गो बाद में दोबारा इस्लाम क़ुबूल कर ले। **(ख़ानिया भाग-१-२२४)**

६- मस्जिद मुन्हदिम हो जाए, और मोअ़तकिफ़ दिन का अक्सर ह़िस्सा गुज़ारने से पहले दूसरी मस्जिद मुन्तक़िल न हो सके, तो एतिकाफ़ टूट जाएगा।

**(दुर्रे मुख़्तार भाग ३-४३८)**

७- बेहोशी और जुनून की वजह से कोई रोज़ः फ़ौत हो जाए, तो एतिकाफ़ टूट जाएगा, क्योंकि नियत न पाई जाने की वजह से रोज़ः सही नहीं हुआ और रोज़े के बग़ैर एतिकाफ़ दुरुस्त नहीं। **(दुर्रे मुख़्तार भाग-१-४४३)**

८- दिन में नशा तारी होने की वजह से एतिकाफ़ टूट जाएगा।

**(दुर्रे मुख़्तार)**

९- मस्जिद जब वीरान हो जाए या मुस्लिम आबादी मुन्तशिर हो गई हो, और अब उस में जमाअ़त क़ायम न होती हो, तो एतिकाफ़ टूट जाएगा।

**(फ़त्हुल क़दीर भाग २-३११)**

क्योंकि एतिकाफ़ के लिए ऐसी मस्जिद होना शर्त है जिस में नमाज़ पंचगाना बाजमाअ़त होती हो।

## एतिकाफ़ तोड़ना कब जायज़ है

इन सूरतों में एतिकाफ़ तोड़ना जायज़ है, बल्कि बाज़ मर्तबः वाजिब होता है, यानी तोड़ने का गुनाह नहीं होगा। लेकिन एतिकाफ़ तोड़ने की क़ज़ा लाज़िम होगी।

१- एतिकाफ़ की ह़ालत में शदीद बीमार पड़ जाए, मस्जिद में रहते हुए इलाज मुम्किन न हो, तो एतिकाफ़ तोड़ना जायज़ है, यानी मस्जिद से बाहर निकल कर इलाज करवा सकता है। **(फ़तावा हिन्दीया भाग-१-२१३)**

२- अगर जनाज़े की नमाज़ पढ़ने वाला कोई न हो, और जनाज़े को दफ़नाने वाला भी कोई न हो, तो उस वक़्त इस मक़सद के लिए एतिकाफ़ तोड़ना जायज़ है, बल्कि वाजिब है। **(हिन्दीया भाग-१-२१३)**

३- आग में जलने वाले को।

४- पानी में डूबने वाले को बचाने के लिए।

५- आग बुझाने के लिए एतिकाफ़ तोड़ कर मस्जिद से बाहर निकलना जायज़ है। बल्कि अगर वहाँ इस के अ़लावह कोई और न हो तो इस मक़सद के लिए एतिकाफ़ तोड़ना वाजिब हो जाएगा। **(बह्र भाग-२-५२६)**

६- जब जिहाद के लिए सब को जिहाद में शिरकत के लिए एलान हो, तो उस वक़्त एतिकाफ़ तोड़ना जायज़ है। **(हिन्दीया-भाग-१-२१२)**

७- अदाएगी शहादत के लिए बल्कि अगर मज़लूम को हक़ दिलाना उसी की शहादत पर हो, तो शहादत देने के लिए एतिकाफ़ तोड़ कर मस्जिद से निकलना वाजिब हो जाएगा। **(बह्र भाग २-५२६)**

८- माँ, बाप, बीवी और बच्चे में से किसी की सख़्त बीमारी की वजह से भी एतिकाफ़ तोड़ना जायज़ है।

९- कोई मोअ़तकिफ़ ज़बरदस्ती मस्जिद से बाहर निकाल कर ले जाया जाए जैसे उस के नाम हुकूमत की तरफ़ से गिरफ़्तारी का वारेन्ट हो, या किसी भी वजह से मस्जिद से निकलने पर मजबूर किया गया हो, तो उस के लिए एतिकाफ़ तोड़ कर मस्जिद से बाहर निकलना जायज़ है।

१०- मोअ़तकिफ़ को अपनी जान या माल का ख़ौफ़ हो।

**(फ़त्हुल क़दीर भाग २-३१०)**

११- जिस मस्जिद में मोअ़तकिफ़ हो वह ढ़ा जाए, तो एतिकाफ़ तोड़ना जायज़ है। **(दुर्रे मुख़्तार भाग ३-४३८)**

१२- मस्जिद के इर्दगिर्द मुस्लिम आबादी मुन्तशिर हो जाए, और मस्जिद वीरान हो जाए और जमाअ़त क़ायम न हो तो एतिकाफ़ तोड़ना जायज़ है।

**(फ़त्हुल् क़दीर भाग २-३११)**



## एतिकाफ़ न टूटने की सूरतें

इन सूरतों से एतिकाफ़ नहीं टूटता।

१- एतिकाफ़ की ह़ालत में मोअ़तकिफ़ बालिग़ हो जाए तो उस से एतिकाफ़ नहीं टूटेगा, क्योंकि उस में उस के अ़मल को कोई दख़्ल नहीं।

२- किसी को एह़तिलाम हो जाए। **(हिन्दीया भाग-१-२१३)**

३- ग़ैर जामेअ़ मस्जिद में मोअ़तकिफ़ था, नमाज़े जुमअ़ के लिए जामा मस्जिद गया, और नमाज़ पढ़ कर वहीं ठहर गया, तो मकरुह अ़मल क़रार पाएगा। मगर एतिकाफ़ नहीं टूटेगा, यहाँ तक कि चौबीस घण्टे गुज़र जायें, बल्कि एतिकाफ़ की बक़िया मुद्दत पूरी वहीं गुज़र जाए तो भी एतिकाफ़ नहीं टूटेगा, बल्कि एतिकाफ़ पूरा करने वाला कहलाएगा। **(बह्र-भाग-२-५२८)**

४- औ़रत को देखने या किसी की मुह़ब्बत में खो जाते हुए सोचते-सोचते इन्ज़ाल हो जाए तो इससे एतिकाफ़ नहीं टूटेगा। **(हिन्दीया-भाग-१-२१३)**

५- दिन में भूल कर खाने से, क्योंकि भूल कर खाने से रोज़ः नहीं टूटता है। **(हिन्दीया)**

६- लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज, अ़मल शरअ़न ममनूअ़ और गुनाह है। **(फ़त्हुल् क़दीर-२-३१६)**

७- रात में किसी का माल खाना, गो इस से एतिकाफ़ फ़ासिद नहीं होता है, लेकिन दूसरे का माल बग़ैर इजाज़त के खाना शरअ़न ममनूअ़ और गुनाह है। **(हिन्दीया भाग-१-२१३)**

८- रात में नशा की ह़ालत में एतिकाफ़ फ़ासिद नहीं होता है।

## एतिकाफ़ की ह़ालत में मुबाह़ काम

एतिकाफ़ की ह़ालत में यह काम बिला कराहत जायज़ व दुरुस्त हैंः-

१- गुरूब आफ़ताब के बाद से तुलूअ़ सुबह़ सादिक़ तक खाना-पीना। **(क़ुर्आन)**

२- सोना। **(क़ुर्आन)**

३- कपड़े बदलना।

४- तेल लगाना, खुशबूदार हो।

५- अक्द निकाह़ करना। **(तिर्मिज़ी)**

६- तलाक़ रजई के बाद इद्दत में रजअ़त करना। **(हिन्दीया-भाग-१-२१३)**

७- मस्जिद में सामान नहीं लाए तो ज़रूरी ख़रीद व फ़रोख़्त करना, अपनी और अपने अहल व अ़याल की ज़रूरियाते ज़िन्दग़ी के लिए हो, अल्बत्ता मस्जिद को बाक़ायदा तिजारतगाह बनाना दुरुस्त नहीं, गो मस्जिद में सामान न लाए, या मोबाईल फ़ोन पर बात करे। इसी तरफ़ इशारा करते हुए ह़दीस पाक में मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़्त को मम्नूअ़ क़रार दिया गया।

**(हिन्दीया भाग १-२१३)**

८- दीनी और मुबाह़ गुफ़्तगू। **(हिन्दीया-भाग-१-२१२)**

९- ह़जामत कराना, अल्बत्ता बाल मस्जिद में न गिरने पायें।

१०- ह़ज या उमरह का एह़राम बांधना, अल्बत्ता जितने दिनों का एतिकाफ़ हो उतने दिनों मस्जिद में रहने के बाद निकलेगा, हाँ अगर ह़ज फ़ौत होने का अन्देशा हो, तो एतिकाफ़ छोड़ देगा, और ह़ज पूरा करेगा, बाद में एतिकाफ़ की क़ज़ा कर लेगा, क्योंकि ह़ज एतिकाफ़ से ज़्यादा अहम है।

**(बह्र-भाग २-५२८)**

११- बिला उजरत कपड़े सीना। **(बह्र-भाग २- ५३०)**

१२- अगर मोअ़तकिफ़ (एतिकाफ़ में बैठने वाला) मस्जिद में अपना सर इस तरह धोए कि उसके इस्तेमाल किये हुए पानी से मस्जिद गंदी न हो, तो कोई ह़र्ज नहीं, और गंदी हो, तो धोने से रोका जाएगा, इसलिए कि मस्जिद की सफ़ाई सुथराई ज़रूरी है, यही हुक्म वुज़ू का है कि अगर किसी के बर्तन में वुज़ू करे या मस्जिद के किनारे इस तौर पर करे कि माए मुस्तअ़मल (वुज़ू में इस्तेमाल किया हुआ पानी) से मस्जिद गंदी न हो, तो कोई ह़र्ज नहीं, और गंदी हो तो रोका जाएगा। **(बदाए-भाग-२-२८४)**

१३- कंघा करना। **(मुस्लिम)**

१४- मोअ़तकिफ़ के लिए मस्जिद में बिस्तर और ज़रूरी सामान लाना।

१५- मोअ़तकिफ़ चारपाई भी ला सकता है, अल्बत्ता मस्जिद के एक गोशे में



रखेगा।

१६- मस्जिद के किसी किनारे ह़िस्सा को एतिकाफ़ गाह के लिए मुक़र्रर करना जायज़ है, क्योंकि ह़ज़रत इब्ने उमर (रज़ि०) से रिवायत है कि:

"नबी करीम (सल्ल०) जब एतिकाफ़ का इरादा फ़रमाते, तो आप के लिए (मस्जिद में) बिस्तर बिछाया जाता 'उस्तवाना तौबः' के पीछे चारपाई बिछाई जाती थी।" **(इब्ने माजा-१७७४)**

## मकरुहात एतिकाफ़

एतिकाफ़ की ह़ालत में यह चीज़ें मकरुह हैं:-

१- बिला उज़्र शरअ़ी व तबई एक लम्ह़ा के लिए भी मस्जिद से बाहर निकलना मकरुह है। **(फ़त्हुल्क़दीर-भाग २-२६६)**

२- शरई और तबई ह़ाजत से फ़राग़त के बाद तुरन्त अपनी (एतिकाफ़ गाह) मस्जिद की तरफ़ वापस आने के बजाए कहीं और ठहरना मकरुह है।

**(दुर्रे मुख़्तार-भाग-२-२२७)**

३- मस्जिद में बेचने वाला सामान लाना। **(बह्र भाग २-५३१)**

४- मस्जिद को तिजारतगाह बनाना। **(बह्र, भाग २-५३०)**

५- उजरत लेकर कपड़े सीना, तअ़लीम देना या किताबत (लिखना) सिखाना।

**(बहर-भाग-२-५३०)**

६- इबादत के ख़याल से ख़ामोश रहना। **(बहर-भाग २- १५३१)**

७- ग़ैर मुबाह़ गुफ़्तगू। **(बहर-भाग-२-५३१)**

८- एतिकाफ़ की ह़ालत में बीवी से मुबाशरत फ़ाह़िशा मकरुह है, जैसे- बोसा लेना, मुआ़निक़ा करना, छूना वग़ैरह भी मकरुह़ है। **(खानियः भाग-१-२२२)**

## मुअतकिफ़ की आरामगाह

मुअतकिफ़ के लिए दुरुस्त है कि मस्जिद के जिस गोशे को मुनासिब समझे उसे अपनी आरामगाह बना ले, और वहां बिस्तर बिछा ले, और कपड़े वग़ैरह से घेर के कमरा बना ले। चुनांचे अ़ल्लामा तय्यिबी (रह़०) हुज़ूर (सल्ल०) का

अ़मल नक़्ल फ़रमाते हैं कि-

"आप (सल्ल०) अपने लिए कोई ऐसी जगह मख़्सूस फ़रमा लेते थे कि जिस में लोगों की नज़र से ओझल रहें, इसी मफ़हूम में एक दूसरी सह़ीह़ ह़दीस है कि "आप (सल्ल०) ने चटाई का कमरा बनाया।

**(शरहुत्तय्यिबी अ़ला मिश्कातिलूमसाबीह़ भाग ४-२११)**

## मुअ़तकिफ़ के लिए ग़ुस्ल और वुज़ू का मक़ाम

मुअ़तकिफ़ के लिए फ़ित्री व शरई उ़ज़्र की बुनियाद पर मस्जिद से निकलना जाएज़ है, और शरई एज़ाज़ में से ग़ुस्ल और वुज़ू भी हैं। लिहाज़ा ग़ुस्ल वाजिब होने के लिए क़रीबी ग़ुस्ल ख़ाना और वुज़ू के लिए वुज़ू ख़ाने जाए, तो इस से एतिकाफ़ नहीं टूटेगा। अलूबत्ता मस्जिद में इस तरह़ वुज़ू या ग़ुस्ल करना मुम्किन हो कि इस्तेमाल किया हुआ पानी मस्जिद के फ़र्श पर न गिरे, तो मस्जिद ही में वुज़ू या ग़ुस्ल कर सकता है कि मस्जिद में पानी न गिरे, इसी तरह़ किसी बर्तन में वुज़ू करे या मस्जिद के किनारे इस तरह़ वुज़ू करे कि मस्जिद के फ़र्श पर पानी न गिरे, या मस्जिद के अन्दर पानी की टोटी इस तरह़ लगी हो कि मोअ़तकिफ़ मस्जिद के अन्दर रह कर वुज़ू करे, और वुज़ू का पानी टोटी के ज़रिए मस्जिद से बाहर गिरे, तो इस इन्तिज़ाम से मोअ़तकिफ़ फ़ायदा उठाए। वरना अगर मस्जिद के गंदी होने का अन्देशा हो तो किसी भी ह़ाल में मस्जिद में वुज़ू या ग़ुस्ल करने की इजाज़त नहीं है।

"अगर मस्जिद में अपना सर एक बर्तन में धोया तो कोई ह़र्ज नहीं है, जबकि मस्जिद मुस्तअ़मल पानी से आलूदा न हो, अगर मस्जिद आलूदा हो जाती हो, तो यह ममनूअ़ होगा, क्योंकि मस्जिद की सफ़ाई सुथराई वाजिब है, इसी तरह़ किसी ने बर्तन में वुज़ू किया, तो उस का हुक्म भी इसी तफ़्सील के मुताबिक़ होगा।" **(बहरूर्रायक भाग-२-३०३, फ़त्हुलूक़दीर भाग २-३६६)**

ह़दीस शरीफ़ में मस्जिद को बच्चों, पागलों, मुक़द्दमात और हुदूद के क़याम वग़ैरह से बचाने का हुक्म दिया गया है, ताकि मस्जिद का एह़तिराम बाक़ी रहे, चुनांचे ह़ज़रत वासला (रज़ि०) से मन्क़ूल है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने



फ़रमायाः अपनी मस्जिदों को बच्चों, पागलों ख़रीद व फ़रोख़्त, मुक़द्दमात, शोरग़ुल, और तलवार की बेनियामी से बचाओ।

**(मुअ़ज़म कबीरतित्तबरानी भाग २२-५७)**

मस्जिद के अन्दर ग़ुस्ल और वुज़ू करने की यह तदबीरें आ़म हैं, चाहे ग़ुस्ल वाजिब हो, या सुन्नत या ठंडक ह़ासिल करने के लिए, इसी तरह़ वुज़ू फ़र्ज़ नमाज़ के लिए हो, या नफ़्ल नमाज़ के लिए या वाजिब नमाज़ के लिए हो, या वुज़ू पर वुज़ू करने के लिए हो।

मस्जिद में ग़ुस्ल या वुज़ू करना मुम्किन न हो, तो ग़ुस्ल मस्नून (जुमअ़ का ग़ुस्ल) या केवल ठंडक ह़ासिल करने की ग़रज़ से ग़ुस्ल और वुज़ू पर वुज़ू के लिए मस्जिद से बाहर नहीं निकलेगा, अगर निकला, तो मकरुह अ़मल होगा बजाए सवाब के गुनाह होगा, और अगर दिन का अक्सर ह़िस्से के बक़द्र वक़्त लग गया, तो एतिकाफ़ टूट जाएगा। हाँ अगर नफ़्ली एतिकाफ़ हो, तो बिला कराहत मस्नून ग़ुस्ल (जुमअ़ का ग़ुस्ल) और ठंडक की ख़ातिर ग़ुस्ल के लिए जा सकता है, चाहे जितनी देर मस्जिद से बाहर रहे, इस से एतिकाफ़ नहीं टूटेगा, अलूबत्ता इतनी देर का एतिकाफ़ शुमार नहीं होगा।

जिन सूरतों में मुअ़तकिफ़ के लिए मस्जिद से बाहर निकल कर ग़ुस्ल या वुज़ू करना जाएज़ है, उन सूरतों में मिस्वाक, मन्जन, या टूथ पेस्ट से दाँत माँझना, साबुन लगाना और तौलिया से आ़ज़ा ख़ुश्क करना दुरुस्त है।

## मुस्तह़बाते एतिकाफ़

नेक कामों और अच्छी बातों में मशग़ूल रहना। क़ुर्आने करीम की तिलावत करना। दुआ़, दुरुद, इस्तिग़फ़ार में मशग़ूल रहना, दीन की बातों को सीखना और सिखाना वाअ़ज़ व नसीह़त करना, जामा मस्जिद में एतिकाफ़ करना।

## वह उमूर जो मुअतकिफ़ के लिए जायज़ हैं

पेशाब या पाख़ाना के लिए निकलना, ग़ुस्ल फ़र्ज़ के लिए निकलना, नमाज़े

जुमअ़ के लिए ज़वाल के वक़्त या इतनी देर पहले निकलना कि जामा मस्जिद पहुँचकर ख़ुत्बा से पहले चार सुन्नत पढ़ सके। मुअज़्ज़िन का अज़ान कहने के लिए अज़ान की जगह पर ख़ारिज मस्जिद जाना, मस्जिद में खाना पीना, सोना और ज़रुरत की चीज़ो की ख़रीदारी व फ़रोख़्त बशर्ते कि वह चीज़ मस्जिद में मौजूद न हो, निकाह़ करना।

## नमाज़े ईद का बयान

ईद का दिन ख़ुशी का दिन है, जो साल में दो मर्तबः आता है। पहली ख़ुशी उस की कि रमज़ान शरीफ़ का मुबारक महीना आया उस में ख़ुदा तआ़ला की रह़मतों और नेअ़मतों की बारिश हुई, तुम ने जी लगाकर महीना भर अपने परवरदिग़ार की ख़ूब इबादत की उस के हुक्म के मुताबिक़ सुबह़ व शाम तक भूके प्यासे रहे और रात को यादे इलाही में बसर किया। उस की ख़ुशी में रमज़ान मुबारक के ख़त्म होते ही पहली शव्वाल का दिन तुम्हारे लिए ख़ुशी का दिन मुक़र्रर कर दिया और उस दिन को "ईदुल् फ़ित्र" कहते हैं। इस लिए कि महीने भर की बन्दिश के बाद आज खाने-पीने की इजाज़त ह़ासिल हुई है।

ह़दीस शरीफ़ में आया है। "जब ईदुल् फ़ित्र का दिन होता है तो फ़रिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं। ऐ गिरोह मुस्लिमीन अपने रब करीम की तरफ़ लपको वह तुम्हें एक अच्छे काम की तौफ़ीक़ देता है फिर उस पर सवाबे अ़ज़ीम अ़ता फ़रमाता है। उसने तुम्हें रमज़ानुल् मुबारक की रातों में नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया और तुम ने नमाज़ पढ़ी, तुम्हें दिन में रोज़ः रखने का हुक्म दिया तुम ने रोज़ः रखा। तुम ने अपने रब के हुक्म की इताअ़त की अब उस का इनआ़म ह़ासिल करो।

जब नमाज़ ईद ख़त्म हो जाती है तो फ़रिश्ते आवाज़ लगाते हैं। ख़ुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिग़ार ने तुम्हारी मग़्फ़िरत फ़रमा दी अब तुम ख़ुशी ख़ुशी अपने घरों को लौट जाओ।" इसी लिए इस दिन को इनआ़म व इकराम का दिन कहते हैं और आसमानों में उस दिन का नाम "यौमे जाइज़ा" है। **(जमउल फ़वायद)**



## दूसरी ख़ुशी-

दूसरी ख़ुशी फ़रीज़ा ह़ज की अदाएगी की ख़ुशी है। ९ ज़िल् ह़िज्ज को हुज्जाज मैदाने अ़रफ़ात में दरबारे ख़ुदावन्दी में ह़ाज़िर होते हैं उन पर ख़ुदावन्द करीम की नेअ़मतें और रह़मतें नाज़िल होती हैं फिर वह लोग, जो वहाँ की हुज़ूरी से मह़रूम रहें उन के लिए १० ज़िल् ह़िज्ज को ख़ुशी का दिन मुक़र्रर फ़रमाया ताकि यह भी ख़ुदावन्द करीम की रह़मतों और नेअ़मतों से सरफ़राज़ हों। उस दिन को "ईदुल् अज़्हा" और "बक़रअ़ीद" कहते हैं। इस लिए उस दिन नमाज़ ईद के बाद क़ुर्बानी की जाती है।

जब नबी करीम (सल्ल०) मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरह पहुँचे तो अहले मदीना साल में दो मेले करते थे। हुज़ूर (सल्ल०) ने दरयाफ़्त फ़रमाया यह क्या है? उन्होंने अ़र्ज़ किया- "या रसूलल्लाह ज़माने जाहिलियत में हम इन दिनों में ख़ुशी मनाते थे। हुज़ूर (सल्ल०) ने फ़रमाया, ख़ुदा तआ़ला ने उनके बदले में उन से बेहतर दिन ख़ुशी मनाने के लिए तुम्हें अ़ता फ़रमाया। एक ईदुल् फ़ित्र और दूसरे ईदुल् अज़्हा।

**(मजमउल फ़वायद, अबूदाऊद, नसई)**

ईदैन के दिन दो रकअ़त नमाज़ वाजिब हैं जिन लोगों पर जुमअ़ की नमाज़ फ़र्ज़ है उन पर ईद की नमाज़ भी वाजिब है। और जो शर्तें जुमअ़ की नमाज़ की हैं वही ईद के नमाज़ की हैं। मगर ईदैन की नमाज़ का ख़ुत्बः नमाज़ के बाद पढ़ा जाता है और ख़ुत्बः का पढ़ना और सुनना सुन्नत मोअक्किदह है वाजिब नहीं।

ईद की नमाज़ के लिए अज़ान और तकबीर नहीं होती बल्कि आफ़ताब बुलन्द होने के बाद सब मुसलमान एक जगह जमा हों जब सब जमा हो जाएँ तो इमाम उन को पहले दो रकअ़त नमाज़ पढ़ाए और हर रकअ़त में तीन तकबीर ज़ायद कहे। इन ज़ायद तकबीरों का कहना इमाम और मुक़्तदी दोनों पर वाजिब है। फिर इमाम खड़ा होकर दो ख़ुत्बे जुमअ़ की तरह़ पढ़े और तमाम लोग ख़ामोशी के साथ बैठ कर सुनें। अगर ईदुल् फ़ित्र की नमाज़ है तो ख़ुत्बे में सदक़्-ए-फ़ित्र के मसायल बयान किये जाएँ और अगर ईदुल् अज़्ह़ा की नमाज़

है तो ख़ुत्बे में क़ुर्बानी के मसायल बयान किये जाएँ।

## ईद की नमाज़ का तरीक़ा-

अव्वल इस तरह़ नियत करे कि मैं ईदुल् फ़ित्र या ईदुल् अज़्ह़ा की दो रकअ़त वाजिब मअ़ छः ज़ायद तकबीरों के, इस इमाम के पीछे पढ़ता हूँ, फिर तकबीरे तह़रीमा कहकर हाथ बांध ले, और सना पढ़े, फिर **अल्लाहु अकबर** कहते हुए दोनों हाथ कानों तक उठाए और हाथ छोड़ दे, फिर दूसरी बार **अल्लाहु अकबर** कहते हुए दोनों हाथ कानों तक उठाए और हाथ छोड़ दे। फिर तीसरी बार **अल्लाहु अकबर** कहते हुए दोनों हाथ कानों तक हाथ उठाए और हाथ बांधा ले। फिर इमाम 'अऊजु' और 'बिस्मिल्लाह' आहिस्ता पढ़े और सूरः फ़ातिह़ा और सूरत आवाज़ से पढ़ें और मुक़्तदी कुछ न पढ़ें। फिर रुकूअ़ और सज्दे करके दूसरी रकअ़त के लिए खड़े हों। दूसरी रकअ़त में पहले इमाम सूरः फ़ातिह़ा और सूरत पढ़े। फिर इमाम और मुक़्तदी **अल्लाहु अकबर** कहते हुए हाथ कानों तक उठाएँ और हाथों को छोड़ दें। फिर तीसरी दफ़ा **अल्लाहु अकबर** कहते हुए हाथ उठाएँ और हाथों को छोड़ दे। फिर चौथी मर्तबः बग़ैर हाथ उठाए **अल्लाहु अकबर** कहकर रुकूअ़ में जाएँ और दूसरी नमाज़ो के मुताबिक़ दो रकअ़त पूरी करें।

**नोट-** अगर कोई शख़्स ईद की नमाज़ में ह़ालते क़याम में शरीक हुआ तो उस को चाहिए कि नियत करके ज़ायद तकबीरें कह ले, चाहे इमाम क़िरात शुरु कर चुका हो और अगर इमाम के रुकूअ़ में जाने के बाद पहुँचा और गुमान ग़ालिब हो कि तकबीरें कहने के बाद रुकूअ़ मिल जाएगा तो नियत बांध कर पहले ज़ायद तकबीरें कहे फिर रुकूअ़ में जाए और अगर रुकूअ़ के न मिलने का ख़त्रा हो तो रुकूअ़ में शरीक हो जाए और ह़ालते रुकूअ़ में बजाए सुब्ह़ान रब्बियल अ़ज़ीम पढ़ने के जो ज़ायद तकबीरें बची हैं कह ले, मगर हाथ न उठाए। अगर उस की तकबीरें पूरी होने से पहले इमाम रुकूअ़ से सर उठा ले तो उस को भी सर उठा लेना चाहिए और जो तकबीरें रह गई वह माफ़ हैं।

और अगर किसी को ईद की एक रकअ़त मिली तो उस को चाहिए कि इमाम के फ़ारिग़ होने के बाद दूसरी रकअ़त अदा करे जिस में पहले क़िरात करे



फिर तकबीरें कहे।

## ईद के मुस्तह़बात

(१) गुस्ल और मिस्वाक करना।
(२) अपने पास जो कपड़े मौजूद हों उन में से अच्छे कपड़े पहनना।
(३) ख़ुशबू लगाना।
(४) ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ना।
(५) ईदगाह पैदल जाना।
(६) एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना।
(७) ईद की नमाज़ से पहले घर में या ईदगाह में नफ़्ल नमाज़ न पढ़ना और ईद की नमाज़ के बाद ईदगाह में नफ़्ल न पढ़ना। घर वापस आकर पढ़ ले तो कुछ ह़र्ज नहीं।
(८) नमाज़ ईदुल् फ़ित्र से पहले खजूर या कोई मीठी चीज़ खाना।
(९) अगर सद्क़-ए-फ़ित्र वाजिब हो तो उस की नमाज़ से पहले अदा करना।
(१०) ईदुल् अज़्ह़ा में नमाज़ ईद के बाद अपनी क़ुर्बानी का गोश्त खाना। ईदुल् फ़ित्र की नमाज़ को जाते हुए रास्ते में आहिस्ता-आहिस्ता तकबीर कहना मुस्तह़ब है और ईदुल् अज़्ह़ा में बुलन्द आवाज़ से तकबीर कहते हुए जाना मुस्तह़ब है।

## ईदुल् अज़्ह़ा के ख़ास अह़काम

अगर साह़िबे निसाब हो तो उसको ईदुल् अज़्ह़ा की नमाज़ के बाद क़ुर्बानी करना वाजिब है और नवीं ज़िलुह़िज्ज की नमाज़ फ़ज्र से तेरहवीं की अ़स्र तक हर फ़र्ज़ के बाद जो जमाअ़त के साथ पढ़ी हो एक मर्तबा तकबीर पढ़ना वाजिब है।

तकबीर यह है- अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लाइलाह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल्ह़म्द। नवीं तारीख़ को 'यौमे अ़रफ़ा' कहते हैं और दस्वीं को 'यौमे नह़र' और ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं यह तीन दिन 'अय्यामे तशरीक़' कहलाते हैं।